-1(1)

शिमला विकास प्राधिकरण, शिमला-9 की लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण रिपोर्ट ।

....

अवधि 4/89 से 3/90.

भाग-1.

1. पिछली लेखा परीक्षा रिपोर्ट :-

पिछली लेखा परीक्षा रिपोर्ट जो विकास प्राधिकरण कार्यालय में 24 अगस्त, 1991 को प्राप्त हुई है उसके ऊपर अभी कोई कार्यवाही नहीं हुई है । केवल पैरा संख्या 13(5) रिपोर्ट वर्ष 1986-87 की अनुपालना की है जिसे निर्णित कर दिया है शेष सभी पैरे जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट वर्ष 1988-89 में अनिर्णित दिखाए हैं उनकी स्थिति यथावत है । प्राधिकरण कार्यालय से अनुरोध है कि पिछले शेष पैरों तथा वर्ष 1988-89 की रिपोर्ट के पैरों पर शीघ्र कार्यवाही करें और अनुपालना रिपोर्ट इस विभाग को शीघ्र भेजें ।

भाग-2.

2. वर्तमान लेखा परीक्षा:-

वर्तमान लेखा परीक्षा अवधि 4/89 से 3/90 जिसके परिणाम आगामी पैरों में दिये गए हैं, श्री बी०आर० शर्मा, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 29.4.91 से 19.10.91 तक किया गया । जून 1989 और मार्च, 1990 के मासों के लेखों का विस्तार से परीक्षण किया गया ।

3. वित्तीय स्थिति:-

(क) शिमला विकास प्राधिकरण के वर्ष 1989-90 तक की आय व्यय विवरणिका और तुलन पत्र (बैलेंस शीट) इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं ।

(ख) पूंजी निवेश:-

31 मार्च, 1990 तक विभिन्न राष्ट्रीयकृत एवं सहकारी बैंकों में 7,49,42,627.0[illegible] सावधिक जमा रसीदों के रूप में निवेश किए हुए थे । प्रत्येक बैंक में विभिन्न रसीदों के रू[illegible] में निवेश की गई राशि का विवरण तुलन पत्र में दर्शाया गया है । परन्तु उपरोक्त राशि की सावधिक जमा रसीदें लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गईं और बताया गया कि अभिरक्षा हेतु ये रसीदें सम्बन्धित बैंकों में ही रखी गई हैं । इस व्यवस्था पर मुख्य अभियन्ता पुनः विचार करें और प्रमाणित करें कि ये रसीदें निरीक्षण कर ली गई हैं और बताई गई राशि के अनुसार सुरक्षित हैं । सभी बैंकों से सावधिक जमा रसीदों के अन्तर्गत जमा राशियों का प्रमाणीकरण कराया जाए तथा प्राप्त प्रमाण पत्र आगामी लेखा-परीक्षा पर प्रस्तुत किए जाएं ।

(ग) ऋण:-

विकास प्राधिकरण को भारत सरकार से हिमाचल सरकार के माध्यम से और [illegible]

हुडको से सीधा ऋण प्राप्त हुआ है । दिनांक 31.3.90 को जो प्राधिकरण के पास ऋण है और वर्ष 1989-90 में जो राशि तथा ब्याज लौटाया गया है उसका विवरण इस प्रकार है :-

पृष्ठ - 3

...4...

YEARWISE DETAILS OF GRANT-IN-AID/LOAN RECEIVED AND REPAID UPTO 31-3-1990 (Rs. in Lacs.)

Year.	Grant-in-Aid/Assitance from H.P.Govt/ Loan Assitance from Govt. of India Through H.P. Govt.					HUDCO Loan.			
	G.I.A.	G.O.I. Loan received	Total Loan received	Amount of G.O.I. Loan repaid. Principal	Balance.	Amount received	Total	Amount Repaid Principal.	Balance.
1.	2.	3.	3(A)	3(B)	3(C)	4.	4(A)	4(B)	4(C)
1979-80	10.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1980-81	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1981-82	2.00	15.00	15.00	-	15.00	-	-	-	-
1982-83	25.00	13.12	28.12	-	28.12	-	-	-	-
1983-84	20.00	-	28.12	-	28.12	-	-	-	-
1984-85	45.00	6.66	34.78	-	34.78	2.05	2.05	-	2.05
1985-86	60.00	-	34.78	-	34.78	66.16	68.21	1.56	66.65
1986-87	40.00	-	34.78	-	34.78	51.88	120.09	17.36	101.17
1987-88	35.00	-	34.78	0.75	34.03	-	120.09	18.29	82.88
1988-89	90.00	-	34.78	2.16	31.87	55.70	175.79	20.44	118.14
1989-90	-	-	34.78	1.41	30.46	-	175.79	25.75	92.39
TOTAL:	330.00								

Sd/-
Accounts Officer,
Shimla Development Authority,
Kasumpti, Shimla-171009.

...

144

4. **लेखा परीक्षा शुल्क :-**

लेखा परीक्षा का शुल्क 12715.00रु0 बना जिसका तिथिवार विवरण इस रिपोर्ट के परिशिष्ट "ख" पर दिया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य अभियन्ता, शिमला विकास प्राधिकरण को लेखा परीक्षा अधिकारी के पत्र संख्या 923/बी0आर0एस0 दिनांक 20 अक्तूबर, 1991 के द्वारा अनुरोध किया गया है कि वे उक्त राशि को लेखा शीर्ष "0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं 60-अन्य-सेवाएं-110-सरकारी लेखा परीक्षा शुल्क हि0प्र0 में सरकारी कोष में जमा करवा दें और जमा का मूल चालान दृष्टि एवं वापिसी हेतु इस विभाग को प्रस्तुत करें।

5. **सहायता अनुदान:**

लेखा परीक्षा अवधि में अर्थात 1.4.89 से 31.3.90 तक शिमला विकास अधिकरण को सरकार से कोई सहायता अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।

6. **निर्माण कार्यों के लिए:-**

मोबिलाईजेशन अग्रिम

वर्ष 1989-90 के लेखों के परीक्षण से देखने में आया कि इस वित्तीय वर्ष से ठैकेदारों को मोबिलाईजेशन अग्रिम दिया जाना आरम्भ कर दिया है। यह अग्रिम, प्रतिभूत अग्रिम के अतिरिक्त है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस उद्देश्य के लिए इससे पहले कभी ऐसा अग्रिम नहीं दिया गया। लोक निर्माण विभाग की संहिता नियम 32 के अन्तर्गत ठैकेदारों को केवल निर्माण स्थल पर लाई गई निर्माण सामग्री की 75% कीमत को प्रतिभूत अग्रिम के रूप में अदा करने का प्रावधान है तथा विशेष परिस्थितियों में निर्मित कार्य पर जिसकी पैमाईश न की गई हों, अग्रिम देने का है। ~~xx~~ प्रावधान है, उपरोक्त के अतिरिक्त ठैकेदारों को सामान्य कार्यों पर किसी प्रकार के अग्रिम देने का प्रावधान नहीं है। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में भी मोबीलाईजेशन अग्रिम देने की कोई मान्य प्रथा प्रचलित नहीं है जिसकी की पद्धति शिमला विकास प्राधिकरण ने अपना रखी है तथा निर्धारित अनुबन्धीय प्रपत्र (पी0डब्ल्यू0डी0 7 एवं 8) में भी इस अग्रिम प्रदायगी का कोई प्रावधान नहीं है।

शिमला विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्य न तकनीकी दृष्टि से विशिष्ट (Specialised) है और न ही कैपिटल इंटैंसिव कार्य है जिनके आर प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति से अग्रिम दिया जा सके। वास्तव में मोबिलाईजेशन अग्रिम उन कार्यों पर दिया जाता है जहां भारी मशीनरी के लाने या खरीद निहित हो। विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्य सामान्य भवन निर्माण या स्थल परिवर्धन के हैं जहाँ न तो भारी मशीनों का लाया जाना अपेक्षित है न ही ठैकेदारों द्वारा भारी मशीनरी लाई गई प्रतीत होती है। इन कार्यों में बुलडोजर या कन्क्रीट मिक्सर के सिवाय कुछ भी मशीनरी नहीं लाई गई प्रतीत होती है तथा अन्य ठैकेदार भी इससे पहले बिना अग्रिम लिए कार्य करते थे। यह अत्यन्त आपत्तिजनक अग्रिम धन प्रदान है। ठैकेदारों ने इतना अनुचित लाभ लेने के पश्चात् भी कार्यों में कोई विशेष प्रगति नहीं दिखाई है। मोबिलाईजेशन अग्रिम प्रदान के कुछ मामले

....5...

-145

जिनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है प्राधिकरण एवं सरकार के ध्यान में लाए जाते हैं । इसकी वसूली तुरन्त की जाए और इस पर ब्याज की भी अनुचित लाभ पहुंचाने वाले अधिकारी/कर्मचारी से अथवा ठेकेदार से वसूली की जाए जो अन्यथा बैंक में रखने की स्थिति में प्राधिकरण को प्राप्त हो रहा था । ब्याज की वसूली का लोक निर्माण कार्य संहिता में प्रावधान समाविष्ट है :-

1.	मैसर्स वाटलीवाई और कम्पनी नई दिल्ली	1173500/-	शिमला योजना क्षेत्र के लिए जल वितरण व्यवस्था में पम्प सैटों का लगाना ।
2.	मै0 गौरव बिल्डर्ज नई दिल्ली	469000/-	जल वितरण व्यवस्था के लिए सेडीमैंटेशन टैंकों का निर्माण ।
3.	मै0 जैतली कंस्ट्रक्शन कम्पनी ।	500000/-	रा वाटर ग्रैविटी मेन का निर्माण
4.	मै0 कुन्दन लाल हरिराम शिमला ।	600000/-	मुख्य लाईन कुसुम्पटी से बी0सी0एस तक जल वितरण लाईन बिछाना
5.	मै0 बी0के0 कन्ट्रैक्टर	298234/-	ब्लास्ट स्क्रेर ब्लॉक का उपलब्ध करवाना ।
6.	मै0 अशोक मदान	1500000/-	व्यावसायिक परिसर में 7 ब्लाक का निर्माण ।
7.	मै0 कुन्दन लाल हरिराम	722000/-	112 एम0 आई0जी0 फ्लैटस का निर्माण ।
8.	---यथो-परि-------	223000/-	32 एम0आई0जी0 फ्लैटस का निर्माण ।
9.	---यथोपरि-----	299000/-	निम्न आय वर्ग के 96 मकानों का निर्माण ।
10.	----यथोपरि----	198583/-	निम्न आय वर्ग के 56 मकानों का निर्माण ।
11.	मैसर्स आर0 के0 कपिला	810000/-	बी0सी0एस0 के नीचे आवासीय कम्पलैक्स में 34 मकानों का निर्माण
12.	मैसर्ज दीपधारा बिल्डर्ज एवं इंजीनियरज	1152000/-	बी0सी0 एस0 के नीचे आवासीय परिसर में 56 टाईप ए फ्लैटस इत्यादि का निर्माण जौब नं02.
13.	श्री पी0एस0राणा	620000/-	बी0सी0एस0 के नीचे आवासीय परिसर में फ्लैटस का निर्माण जौब नं0 3.
14.	श्री आर0के0 कपिला	800000/-	उपरोक्त जौब न04.

93,65317

....6...

—146

15	मैसर्स सीमेन्स निर्माण कम्पनी ।	909000/-	बी0सी0एस0 के नीचे आवासीय परिसर का निर्माण जौन न0 5.
16.	श्री आर0एस0 राणा	740000/-	बी0सी0एस0 के नीचे आवासीय, परिसर का निर्माण जौन न06.
17.	---यथोपरि----	440000/-	बी0सी0एस0 के नीचे आवासीय परिसर का निर्माण जौन न06.
		1,14,52,317	

7. **निर्माण कार्य**

मंडल संख्या I

(क) वाउचर संख्या 32 दिनांक 21. 3. 90 राशि 86171. 38 रू0

कार्य: शिमला योजना क्षेत्र के कसुम्पटी उपक्षेत्र में जल वितरण व्यवस्था की उपलब्धी (उपशीर्ष सप्लाई, इरेक्शन एवं कमीशिनंग आफ पैकेज टाईप मल्टीमिडी फिल्टर टैस्टिंग इक्विपमेंट आफ 1,50,000 गैलन प्रति घण्टा)

ठेकेदार: मैसर्ज़ गौरव बिल्डर्ज़ नई देहली.

अनुबन्ध: संख्या 3, वर्ष 1988-89.

इस कार्य के लिए ठेकेदार को निम्नलिखित कार्य मदों पर जिन्हें अनुबन्ध से अतिरिक्त कहा गया है की अदायगी की गई है । इसकी कुल राशि 37915. 53 रू0 होती है ।

(1) नींव से धरातल तक 1:6:12 की मात्रा में सीमेंट, रोड़ी का बिछाना (शट्रिंग को छोड़कर)

	64. 38एम^3	रू0125. 20	8060. 38
(2) 1:1½:3 मात्रा में सीमेंट रोड़ी और आर0सी0सी0 कार्य			
	12. 844एम^3	रू0276. 45	3550. 72
(3) सरिये को मोड़ने, बान्धने और उचित जगह में बिछाने का रिइन्फोर्समेंट का कार्य			
	275. 31 कि0ग्रा0	रु03. 50 प्र0कि0	963. 58
(4) लहासों का सभी प्रकार की मिट्टी इत्यादि को उठाना			
	83. 75 एम^3	3. 25	272. 19
(5) दीवार के पीछे पत्थरों की भरवाई			
	5. 14एम^3	44. 25	227. 45
			13074. 32
	190% प्रीमियम		24841. 25
	कुल योग		37915. 53

....7..

इस आठवें एवं निरन्तर बिल का ठेकेदार को उपरोक्त मदों पर 37915.53 का भुगतान किया जा चुका है । सिविल कार्य की मात्रा में यह कुछ भी निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि ठेकेदार ने क्या सिविल कार्य करना है । उन्हें प्रति घन्टा 1.5 लाख गैलन की क्षमता वाले डेक टाईप मल्टी फ्लोरिंग रेपिड सेंड फिल्टर टेस्टिंग इक्विपमेंट (स्थापक पुर्जों सहित) के वितरण, स्थापना निर्माण तथा चालू करने का ठेका दिया गया था । अतः स्पष्ट है कि फिल्टरज को चलित करने के लिए उपरोक्त सिविल कार्यों का होना समाविष्ट है अन्यथा इनकी कमीशिंग हो ही नहीं सकती है फिर विकास प्राधिकरण ने सिविल कार्यों को अतिरिक्त (extra) कैसे कहा है । अतिरिक्त मदों के कोई अनुमान पत्र नहीं है । माप पुस्तिका संख्या 219 के पृष्ठ 89 पर अतिरिक्त मुख्य कार्य का नाम/वर्णन नहीं है केवल उपरोक्त प्रविष्टियां की हैं । अनुबन्ध के भीतर किये गए सिविल कार्य की ही प्रविष्टियां एम0बी0 में नहीं हैं तो उपरोक्त कार्य को किस प्रकार अतिरिक्त कार्य कहा जा सकता है । अतिरिक्त कार्य के कोई अनुमान पत्र भी अभिलेख में नहीं है । अनुबन्ध को मद संख्या 25 में कहा गया है कि "यदि विभाग चाहेगा तो ऐसे निर्माण जैसे क्लोरीन कोष्ठ, रसायन वस्तुओं के भण्डार का निर्माण, स्थान परिवर्तन, डोंगे इत्यादि लगाने का कार्य कम्पनी द्वारा 1979 के मानक दर सूचि पर 190% ऊपर पर किया जाएगा" । अतः किया गया कार्य अनुबन्ध की शर्त 25 में बताए गए कार्यों में नहीं आता है अतः निश्चित रूप में ठेकेदार अर्थात मैसर्ज गौरव बिल्डर्ज को 37915.53 रू0 का अधिक ~~xxxxx~~ भुगतान हुआ है जिसकी वसूली शीघ्र की जाए । इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से इस विभाग को सूचित किया जाए ।

(2) <u>500/-रू0 का अधिक भुगतान:</u>

वाऊचर संख्या 32 दिनांक 21.3.90 राशि 86171.38 रू0

ठेकेदार : मैसर्ज गौरव बिल्डर्ज को 12.5% मोबिलाईजेशन अग्रिम का भुगतान किया गया था इसकी प्रोराटा आधार पर चालू बिलों में कटौती की जानी थी । यह देखा गया कि एम0 बी0 संख्या 222 पृष्ठ 90 पर इससे पूर्व बिल में मोबिलाईजेशन अग्रिम की रू0196766/- की कटौती की गई बताई है परन्तु यथार्थता यह पाई गई कि इससे पूर्व बिल जो एम0बी0 222 के पृष्ठ 74 पर प्रविष्ट हुआ है वहां इस अग्रिम की कटौती मात्र रू0 196266/- की हुई है अतः पूर्व कटौती को अधिक बताकर ठेकेदार से कम राशि काटकर 500/-रू0 का अधिक भुगतान हुआ है जिसकी तुरन्त वसूली की जाए ।

(iii) वाउचर संख्या शून्य दिनांक 16.3.90 राशि रु04511.90

कार्य आदेश संख्या 31 वर्ष 89-90.

श्री विजय कुमार मित्तल ठेकेदार ने सोशिल हाऊसिंग योजना में 48 नम्बर ई0डब्ल्यू0 एस0 मकानों में प्लिंथ की फिलिंग का कार्य किया है । इस काम की पैमाईश एम0बी0 संख्या 209 के पृष्ठ 29 से 31 तक की गई है । ठेकेदार से 90/-रू0 2% आयकर और उसपर 8% अधिभार के काटे जाने थे परन्तु ठेकेदार से बिल की अदायगी समय से नहीं काटे गए । यद्यपि उपमंडल ने बिल बनाते समय इसकी कटौती की थी परन्तु मंडल कार्यालय ने छोड़ दी कि बिल की राशि रु010,000/- से कम है । परन्तु ठेकेदार प्राधिकरण के पास निरन्तर कार्य सम्पादन कर रहा है जैसे वाउचर संख्या 18 दिनांक 16.3.90 में उसे अन्य निर्माण कार्य में रु072305.27 का भुगतान हुआ है । अतः इस बिल में आयकर काटा जाना चाहिए था जो अब काटा जाए और रु097/- का चालान दिखाया जाए ।

-148

(4) वाउचर संख्या 9 दिनांक 13. 3. 90
राशि रु0227519. 80.

कुसुम्पटी जोनल सेन्टर में सोशिल हाऊसिंग योजना के अन्तर्गत एम0 आई0जी0 के 32 फ्लैटस का निर्माण तथा इसमें बिजली, पानी और सैनिटरी फिटिंग ।

मैसर्ज कुन्दन लाल हरिराम को उनके उपरोक्त तीसरे और निरन्तर बिल के भुगतान के 227519. 80 रू0 दिये हैं। इस कार्य में उनको टौर स्टील दी गई है और 1. 80 रू0 प्रतिमीटर की दर से लेबर रेट दिया है । इसमें देखा गया कि 8 एम0एम0 ब्यास के 4799. 49 किलो सरिये का प्रयोग बताया गया है जबकि इस ब्यास के सरिये का वजन 390 ग्राम प्रतिमीटर होता है और प्रयुक्त सरिये का यथार्थ वजन 4738. 74 किलोग्राम बनता है अत: ठेकेदार को 60. 75 किलोग्राम का अधिक भार दिखाकर 109. 42 रू0 का अधिक भुगतान किया गया है । इसकी वसूली की जाए अन्यथा सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता से राशि वसूल की जाए । आगामी बिलों में भी इसका ध्यान रखा जाए ।

इस बिल में सरिये का टुकड़ों में काटने के निर्धारित प्रतिशत पर वसूली भी नहीं की गई है इसका कारण बताया जाए और अनुपालना अगले लेखा परीक्षण में दिखाई जाए ।

(5) वाउचर संख्या 15 दिनांक 14. 6. 89 राशि 116075. 50रू0

मैसर्ज अग्रवाल एण्ड कम्पनी द्वारा कसुम्पटी जोनल सेन्टर में व्यावसायिक कम्पलैक्स का निर्माण : फेज एक

ठेकेदार को इस बाहरवें एवंनिरन्तर बिल तक 13218 बोरी सीमेंट भण्डार से दी गई थी । विभाग ने इस कार्य मात्रा के आधार पर थ्योरैटिकल खपत 13441 बोरी बनाई है परन्तु यह भी प्रमाणित किया है कि वास्तव में सीमेंट की खपत 13053 बोरी हुई है । अत: स्पष्टता इस बिल तक 165 बोरी सीमेंट की बचत है अत: इस बचत को भविष्य निर्माण में पूरा न किया जाए । एम0बी0 में इसकी प्रविष्टि कर दी जाए । ताकि भविष्य में गलती की सम्भावना न रहे ।

बिल की मद संख्या 1/1

अनुमान पत्रों में नींव तथा गढ्ढों में खुदाई का अनुमान 2585. 80 घन मीटर कार्य का था परन्तु यह कार्य इस बिल तक 3250. 32 घनमीटर हो चुका है जो अनुमान पत्रों से 10% से अधिक है । मात्रा के अधिक होने के कारण स्पष्ट किये जाएं तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त करके दिखाई जाए । इस बिल में 6 अतिरिक्त एवं प्रतिस्थानी कार्य मदें करवाई गई जिनका भुगतान 354704/-रू0 का हुआ है, इसकी न ही सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति ली गई है और न ही इसकी दर निर्धारित की गई है ।

स्टील वितरण

इसी कार्य में ठेकेदार को जो स्टील स्टोर से दी गई है उसका हिसाब स्टील रजिस्टर में ठीक नहीं रखा गया है । जितने ब्यास की स्टील इन्डैंट द्वारा दी गई है रजिस्टर उसकी प्रविष्टि कम ब्यास की की है जिसका भार भी कम बनता है और अन्तिम बिल में ठेकेदा

—149

कम वसूली होगी जिसकी गणना नीचे दी जा रही है । अतः स्टील की मात्रा ठीक की जाए और वसूली उचित दर से की जाए :-

इन्डेंट संख्या और तिथि	स्टील की मात्रा टन में	जिस व्यास की दी गई ।	जिस व्यास की प्रविष्टि हुई	अन्तर टन में
22/88, 18. 8. 88	4. 098	22 एम0एम0	20 एम0एम0	
21/88, 9. 6. 88	20. 040	22 " "	20 " "	
44/88, 2. 2. 89	10. 00	8 एम0एम0	--	2. 49 प्रविष्टि कम
	10. 80	20 एम0एम0	--	1. 05 की गई
	21. 00	25 एम0एम0	--	.07 " "
58/89, 16. 5. 89	10. 80	20 एम0एम0	--	1. 70 " "

§6§ वाउचर संख्या 66 दिनांक 31. 3. 90 राशि 1,83,113. 86 रू0
व्यावसायिक परिसर के निर्माण का मैं0 अग्रवाल एवं कम्पनी का 18वां एवं अन्त बिल ।

ठेकेदार से इस बिल तक करवाए कार्य में 457033. 41 रू0 की अतिरिक्त एवं एवजी मदों का कार्य करवाया गया है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है । परन्तु सक्षम प्राधिकारी से इन मदों के करवाने के आदेश तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की है जो दरें दी गई है उनका विश्लेषण भी नहीं करवाया गया है । उपरोक्त औपचारिकताएं प्राप्त की जाएं और अनुपालना अगले लेखा परीक्षण में दिखाई जाए :-

बिल की मद संख्या	कार्य इकाई का नाम	मात्रा	दर	राशि
6.	कालम, पिलर, पोस्ट और स्ट्रक्स का 1:1½:3 में कार्य	22. 76घ0मी0	1000/-	22760. 00
8.	सब प्रकार की भूमि की कटाई तथा मिट्टी का किसी भी दूरी तक फेंकना ।	8145. 39	31. 69	258127. 41
9.	डंगे/दीवार के पीछे पत्थरों की भरवाई ।	503. 15	120. 00	60378. 00
10.	वर्षा पानी निकास के लिए एस0सी0आर0डी0नाईन का 1:2:4 सीमेंट रोड़ी में फिटिंग ।	429. 04घ0मी0	100/-	42904. 00
13.	नींव व धरातल में 1:4:8 में सीमेंट रोड़ी फिलाना ।	39. 54	550/-	21747. 00

... 10...

14. सीमेंट रोड़ी रेत में छज्जे का 1:2:4 में निर्माण	23.81 घन मी०	1200/-	28572.00
17. कम्पोजिट स्टोन मेसनरी	125.25	180/-	22545.00
		योग:-	457033.41

§7§ वाउचर संख्या 15 दिनांक 14.6.89
राशि 116075.50 रु0

कम्युनिटी जोनल सेन्टर में व्यावसायिक परिसर का निर्माण

ठेकेदार : मैसर्स अग्रवाल एवं कम्पनी कार्य के 12 वें बिल में एम0बी0सं0 194 पृष्ठ 42 पर मद संख्या 3 में धरातल की शट्रिंग की पैमाईश 157.69 वर्ग मीटर बनती है परन्तु इसमें वर्टीकल सरफेस की शट्रिंग की पैमाईश जोड़कर योग 197.49 वर्ग मीटर बना दिया है। यद्यपि दोनों प्रकार की शट्रिंग का दर 40/-रु0 प्रति वर्ग मीटर है तथापि दूसरी सम्बन्धित मदों में इसका अन्तर आ जाता है और अन्त में भी अन्तर रहेगा। अतः इसकी सुधार प्रविष्टि की जाए और अनुपालना अगले लेखा परीक्षण में दिखाई जाए।

§8§ वाउचर संख्या 36 दिनांक 30.6.89 राशि 26707.10 रु0

श्री ज्ञान चन्द ठेकेदार को सामाजिक आवास योजना परिसर में आर0डी0 915 पर 800 एम0 एम0 व्यास के ह्यूम पाईप बिछाने के काम के इस पहले बिल में 653/- रु0 आयकर के काटे गए थे परन्तु इसपर 8% अधिभार के 52/- रु0 की कटौती नहीं की गई है। अतः ठेकेदार से 52/-रु0 काटकर आयकर में जमा करवाए जाएं।

§ ख§ मंडल न0 2:-

वाउचर संख्या 4 दिनांक 3.3.90 राशि रु0 14648.00 कुल राशि रु0 102855/-

कार्य — बी0सी0 एस0 ~~से~~ नीचे आवासीय बस्ती का निर्माण §उप शीर्ष आर0डी0 0/532 से 0/570, 0/570 से 54.70 तक सड़कों तथा दीवारें बनाने का काम§

अनुबन्ध — संख्या-4, वर्ष 1989-90.

ठेकेदार — श्री अब्दुल गफ्फार बानी।

एम0बी0 संख्या: 234 §~~क~~ बिल संख्या चौथा एवं निरन्तर§

एम0 बी0 सं0 234 के पृष्ठ 45 से 50 तक ठेकेदार द्वारा किये गए कार्य की पैमाईश दर्ज की गई है। इस पैमाईश के परीक्षण में देखा गया कि ठेकेदार को इस कार्य की दोबारा अदायगी की गई है। वास्तव में ठेकेदार ने सड़कों बनाने के लिये आर0डी0 0/532 से आर0 डी0 0/570 तक डंगा लगाया था जिसका भुगतान कार्य बिल तीन तक किया जा चुका था परन्तु आर0 डी0 0/538 से 0/549.50 तक कार्य की पुनरावृत्ति की गई है जिससे स्पष्ट है कि डंगा/दीवार उक्त आर0डी0 पर गिर गया था। अतः अनुबन्धीय

....11..

के अनुसार ठेकेदार को बिना अतिरिक्त कुछ दिये यह कार्य ठीक करना चाहिए था । विभाग ने अर्थात अधिशासी अभियन्ता ने स्थल का निरीक्षण करने के पश्चात आदेश दिये कि ठेकेदार इस कार्य को पुनः करें परन्तु ठेकेदार ने अनुबन्ध करने की अपेक्षा शर्त लगाई कि वह इस कार्य को सुधार देगा / पुनः कर देगा बशर्ते विभाग डंगे/दीवार के आधार का आकार बढ़ाने की अनुमति दे दे । विभाग ने स्वीकार नहीं की थी । प्रस्तुत बिल भुगतान में देखा गया कि ठेकेदार को सुधारे हुए कार्य का अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया जो अनियमित है । इसके फलस्वरूप ठेकेदार को 11902/-रु0 (सीमेंट के मूल्य को छोड़कर) अधिक भुगतान हुआ है जिसका पूर्ण विवरण नीचे दिया गया है जिसकी वसूली ठेकेदार से की जाए । यहाँ यह कहना भी उचित है कि जो भी निर्माण कार्य किये जा रहे हैं उनकी मानक डिजाईन और स्पेसीफिकेशन है उन्हीं के आधार पर सभी निविदाकर कार्य कर रहे हैं यद्यपि ठेकेदार द्वारा कार्य को पुनः करने के पश्चात सहायक अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या एस0 डी0 ए0/ पी0 एस0-4/ अनु0-4/89-90-664 दिनांक 9.3.90 में सत्यापित किया था कि ठेकेदार ने कार्य पुनः अपने खर्च पर पूराकर दिया है । परन्तु इस बिल की पैमाईश से स्पष्ट है कि पहले ली गई पैमाईश से इस बिल में ली गई पैमाईश अधिक है जिसका भुगतान ठेकेदार को करना अनुचित है :-

कार्य मद	एम0 बी0 पृष्ठ	दोबारा ली गई पैमाईश	मूल पैमाईश	अन्तर
1 सब प्रकार की भूमि की कटाई ।	46,13	6.96x8.50 =59.16घ0मी0	2.98x8.50 =25.33घ0मी0	33.83घ0मी0
2 1:5:10मात्रा में सीमेंट रोड़ी का बिछाना ।	46	3.38घ0मी0	1.62	1.76घ0मी0
3, आर0आर0 मेसनरी 1:6:12	47, 49	14.68 12.08 घ0मी0	4.74 10.44	11.58घ0मी0
4, आर0आर0मेसनरी 1:3:6	48, 49	29.62 11.85	13.82 11.66	15.99घ0मी0
5. पत्थर की भरवाई 60 एम0एम0 मोटाई में	[illegible]	20.44	11.98	8.46घ0मी0

दर	क्रमशः	
1	रु020x33.83	= रु0677.00
2	"380/- 1.76	=669.00
3	"475/- 11.58	=5501.00
4	"245/- 15.99	=3918.00
5	"135/- 8.42	=1137.00
	योग रु0	11902.00

सीमेंट की खपत के बारे में देखा गया कि दोबारा किये गए कार्य पर भी

152

सीमेंट की कटौती साधारण दरों पर ही की गई है जबकि यह असाधारण दर से दुगनी दर पर होनी चाहिए थी या सक्षम प्राधिकारी के इसके लिए विशेष स्वीकृति हो जो प्राप्त नहीं है । सीमेंट की खपत में देखा गया कि कार्य की मात्रा जितनी पहले हुई थी उतनी की ही दोबारा चिणाई करवाई गई दीवार की वही मात्रा होनी चाहिए थी परन्तु बाद में किए काम की मात्रा बढ़ी हुई है जिसका अवलोकन निम्न सारणी से किया जाए । ऐसा करने से ठेकेदार को 6048/-रू0 का सीमेंट और वितरित किया है जिसकी कटौती दुगनी दर पर होनी चाहिए थी अतः 6048/-रू0 को अब्दुल गफ्फार पानी से वसूली की जाए या समान दर पर जारी करने का नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए ।

कार्य/मद का नाम	दोबारा चिणाई तक की कुल मात्रा	पहली चिणाई की मात्रा	मात्रा में अन्तर	सिमेंट खपत में अन्तर बोरी में ।
1:5:10 मात्रा में सिमेंट रोड़ी का बिछाना	13.27 घ0मी0	11.51 घ0मी0	1.76 घ0मी0	4.58
आर0आर0 मेसनरी 1:6:12 में	114.35 घ0मी0	87.59 घ0मी0	26.76 घ0मी0	42.82
आर0 आर0 मेसनरी 1:3:6 में	161.14 घ0मी0	119.67 घ0मी0	41.47 घ0मी0	27.79
45 सै0 मीटर कम्पोजिट स्टोन मेसनरी	4.32 घ0मी0	---	4.32	8.60 यह मद पूर्व बिल में अस्वीकृत थी ।
			योग	83.79
			अर्थात	84 बोरी

दर रू0 72/-प्र0 बोरी x84=रू0 6048/-

इसी कार्य की शड्यूल ऑफ क्वांटिटी की मद संख्या 5 में कम्पोजिट स्क्वेयरड मेसनरी कार्य (रिटेनिंग दीवारों के नीचे) का प्रावधान था परन्तु एम0 बी-234 के पृष्ठ 15 पर इस कार्य की पैमाईश दर्ज की गई थी और दूसरे बिल में 2043/-रू0 का भुगतान भी हुआ था परन्तु अब चौथे बिल में इसकी कटौती की गई है जो सहायक अभियन्ता उपमंडल-4 के इस नोट पर आधारित है कि इस कार्य मद का भुगतान ठेकेदार को नहीं करना है (एम0 बी0 234 पृष्ठ-54) अतः यह आश्चर्य की बात है कि कम्पोजिट मेसनरी वाले भाग में भी सड़क गिर गई इससे स्पष्ट है कि दूसरे बिल में किए गए भुगतान में यह मद हुई ही नहीं थी । यह स्पष्ट किया जाए कि कनिष्ठ अभियन्ता ने इसकी पैमाईश कैसे ली थी । दोषी कर्मचारी के विरुद्ध इस त्रुटि के विषय में क्या कार्यवाही की गई है इससे इस विभाग को

अवगत करवाया जाए । यहां यह कहना भी आवश्यक है कि ठेकेदार ने इस कटौती की कोई आपत्ति नहीं की है जो गलत पैमाईश को प्रमाणित करती है । इस कटौती के फलस्वरूप 4.32 घन मीटर कम्पोजिट मैसनरी के कार्य में 8.60 बारी कम्पोजिट स्टोन मैसनरी के कार्य में 8.60 बारी सीमेंट की लागत का भी लाभ दिया गया है जो अनुचित है और इसकी कटौती दुगनी दर पर की जाए ।

ऊपर वर्णित सभी आपत्तियों में लिप्त राशि की कटौती करके अनुपालना इस विभाग को की जाए ।

ग§1§ वाऊचर संख्या 72 दिनांक 17.3.90 ,62346/-रू0 बि0सी0 एस0 के नीचे आवासीय परिसर का निर्माण: कार्य संख्या 3.

श्री पी0 एस0 राणा ठेकेदार के पहले कार्य बिल में उन्हें 489/-रू0 का अधिक भुगतान हुआ है । कार्य में लगी टोर स्टील जो 20 एम0 एम0 व्यास की थी की पैमाईश एम0 बी0 पृष्ठ 30/9 पर 382.86 मीटर थी परन्तु जब सभी व्यास की स्टील का जोड़ एम0 बी0 सं0 38 पृष्ठ 5 पर ले जाया गया तो इसकी मात्रा 400.86 मीटर ली गई परिणाम स्वरूप 44.46 किलो भार अधिक लिया गया जिसका 11/-रू0 प्रति किलो की दर से रू0489.00§रू0 489.06 अर्थात रू0 489/-§ का अधिक भुगतान हुआ है जिसकी वसूली शीघ्र की जाए ।

§A§ मोबिलाईजेशन अग्रिम

इस बिल में ठेकेदार श्री पी0 एस0 राणा को दिए गए मोबिलाईजेशन अग्रिम रू0 6,20,000/- की कटौती नहीं की गई है जो इस प्रथम बिल में करनी चाहिए थी। इस कार्य की निविदित राशि रू06233740.92 है जिसका 10% मोबिलाईजेशन अग्रिम दिया गया है ।

§B§ इस कार्य को प्रारम्भ करने से पहले ठेकेदार श्री पी0 एस0 राणा को निविदित राशि अर्थात 6233740.92 रू0 का 10% यानि 6,20,000/-रू0 मोबिलाईजेशन अग्रिम दिया गया था जिसकी इस बिल में कटौती करनी चाहिए थी जो नहीं की गई है । यह नितान्त अनुचित है । मोबिलाईजेशन अग्रिम का ठेकेदार को साधारण भवन निर्माण कार्य में भुगतान करना अत्यन्त आपत्तिजनक है । जैसा सम्बन्धित पैरा में भी लिखा गया है कि मोबिलाईजेशन का प्रावधान केवल उन्हीं कार्यों में है जिन कार्यों में ठेकेदार द्वारा भारी मशीनरी का लाया जाना अपेक्षित होता है और कैपिटल इंटेंसिव कार्य हो । इसमें आगे परन्तु है कि ऐसे कार्यों की लागत एक करोड़ रूपये से ऊपर हो । इसके साथ ही ब्याज का लिया जाना भी नियमों में प्रावधान है । इस कार्य में न तो ठेकेदार से ,ब्याज लिया गया है, न यह कार्य कैपिटल इंटेंसिव है और न ही इसकी अनुमानित व्यय राशि एक करोड़ रूपये है । अतः इस राशि की शीघ्र वसूली की जाए और ब्याज की वसूली भी ठेकेदार से की जाए ।

...14...

−154

(घ) वाउचर संख्या 133 दिनांक 31.3.90 राशि 124514.00 रु0 कुल राशि 1116992/-रु0

निर्माण कार्य का नाम: डी0सी0 एस0 के नीचे आवासीय परिसर का निर्माण (रूआ शीर्ष घाटी की ओर आर0सी0सी0 रिटेनिंग दीवार का निर्माण कार्य)

अनुबन्ध: अनुबन्ध संख्या 6, वर्ष 1989-90.

एजेन्सी मैसर्स गुरचरण उद्योग, शिमला ।

कार्य आरम्भ की तिथि: 11.10.1989.

माप पुस्तक संख्या: II-39 एवं 204.

बिल संख्या: चौथा एवं अन्तिम बिल ।

II

इस बिल में स्टील की मद को छोड़कर ठेकेदार को 1723/-रु0 की राशि के अधिक भुगतान की सम्भावना है । इसका विस्तृत वर्णन नीचे किया गया है :-

कार्य मद संख्या: 1.

आर0डी0 104.60 से आर0 डी0 119.60 तक (लेन संख्या 4) जमीन की कटाई की पैमाईश इस चौथे बिल में पुन: ली गई है जैसा एम0 बी0-39 पृष्ठ-5 पर दर्ज है परन्तु इस मद की पैमाईश तीसरे बिल में आ चुकी है जिसकी प्रविष्टि एम0 बी0204 पृष्ठ-6 तथा पृ0-70 पर है जहाँ डंगे/दीवार तक की इसी आर0डी0 पर पैमाईश हो चुकी है । अत: जब जिस स्थल पर दीवार बन चुकी है तो उसी स्थल पर जमीन की कटाई किस प्रकार पुन: आ सकती है । यह स्पष्ट है कि ठेकेदार को लाभ पहुँचाने के लिए ही पैमाईश को चौथे बिल में बढ़ा दिया गया है । पैमाईश के अन्तर इस प्रकार है :-

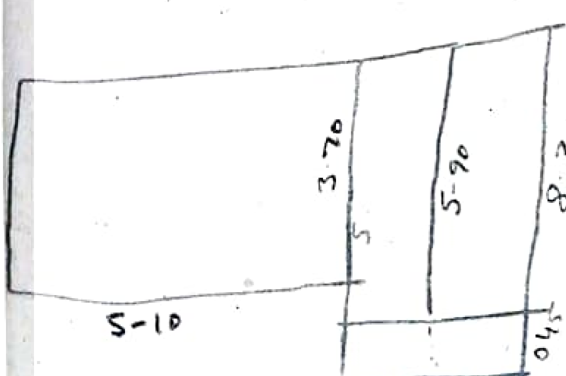

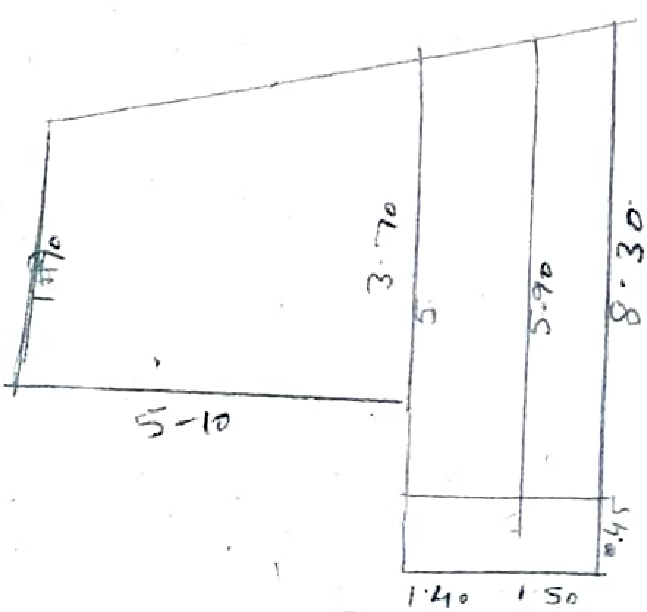

आर0 डी0 104.60 वाली पैमाईश का आधार = 2.90 मीटर

चौथे बिल में दर्शाया आधार = 3.50 मीटर

ऊँचाई = ~~5.45 + 7.85~~

2

155

II

लम्बाई = 104.60 से 119.60 आर0 डी0 तक

आधार की चौड़ाई का अन्तर (R.D. 104.60 पर) $= \frac{7.85+5.45}{2} \times .60$ मीटर = 3.99 घ0 मीटर

आर0 डी0 119.60 पर = पूर्ववत

आधार पैमाईश में अन्तर $= \frac{3.99+0}{2} \times 15$ = 29.92 वर्ग मीटर

गई पैमाईश = 412.35 घ0 मीटर
एम0 बी0 204
पृष्ठ-70.

न्यूनतम पैमाईश = 442.27 घ0 मीटर

अन्तर = 29.92 घ0 मीटर

अधिक भुगतान = 29.92×40 = 1196.80 रू0 या 1197.00 रू0

मद संख्या 2

ढंगा/दीवार के लिए नींव में खुदाई आर0 डी0 104.60 से आर0डी0 119.60 तक

यहाँ भी नींव के लिए आर0डी0 104.60 पर 45 सेंटीमीटर गहरी खुदाई के लिए आधार की चौड़ाई 3.50 मीटर बता रखी है जबकि एम0 बी0 204 पृष्ठ 70 पर आधार चौड़ाई 2.90 मीटर थी अतः 2.03 घ0 मीटर जमीन की खुदाई का अन्तर इस प्रकार आया:-

आर0 डी0 104.60

अधिक पैमाईश

0.45×.60 = .27

आर0 डी0 119.60 = पूर्ववत

अन्तर $= \frac{.27+0}{2} \times 15$ = 2.03 घ0 मीटर

अधिक भुगतान = 2.03×40 = 81.20 रू0

मद संख्या : 4

आर0 डी0 802.10 से आर0डी0 820 तक आर0 सी0 सी0 कार्य के लिए साधारण लकड़ी का कार्य कार्य किया गया है। परन्तु आर0डी0 की लम्बाई 17.90 मीटर न लेकर 18.5 मीटर ली गई है जिसके कारण 2.68 वर्ग मीटर की पैमाईश अधिक हुई है।

माप पुस्तिका 39 पृष्ठ-4 में लिया गया माप	48.10 व0मी0	अन्तर
वास्तविक माप	46.54 " "	1.56 व0 मी0

....16..

—156

मान पुस्तक 39, पृष्ठ -9 में लिया गया माप — 40.70 व0मी0

वास्तविक माप — 39.38 " " — 1.32 व0 मी.

क§. कुल अन्तर — 2.88 वर्ग मी0

माप पुस्तक 204 पृष्ठ 95 पर इसी मद की पैमाईश भी गलत है §आर0802.10 से 820 तक§

17.90+17.90x2.65x.30+2.65 =12.330 वर्ग मीटर

पैमाईश जो होनी चाहिए थी

2x17.90x.30 =10.740

1x2.65x.30 =0.795

11.535 — 11.535 वर्ग मीटर

अन्तर — 0.795

§ख§. कुल अन्तर क+ ख — 3.675 वर्ग मीटर

अधिक भुगतान 3.675x30 =110.25 रु0

मद संख्या 5

माप पुस्तक 39, पृष्ठ 4 और 10 पर आर0डी0 802.10 से 820 तक 1:2:4 मात्रा में सीमेंट रेत रोड़ी बिछाने के कार्य में आर0 डी0 की लम्बाई 18.50 मीटर लेने के कारण 0.304 घनमीटर पैमाईश अधिक लेने की आशंका है जिसकी गणना इस प्रकार की गई है

माप पुस्तक 39, पृष्ठ-4 में लिया गया माप — 6.012

क§ वास्तविक माप — 5.810

अन्तर — 0.202 घ0मी0

माप पुस्तक 39, पृष्ठ 10 में लिया गया माप — 16.356

वास्तविक माप — 16.254

§ख§ अन्तर — 0.102 घ0मी0

कुल अन्तर क+ ख — 0.304 घ0 मी0

अधिक भुगतान 0.304x1100 =रु0334.40

अतः सम्बन्धित ठेकेदार से 1723/-रु0 की वसूली की जाए तथा

157

उपरोक्त विसंगतियों के कारण विभिन्न व्यास की अधिक स्टील की खपत बताये जाने की भी विभागीय तौर पर जाँच की जाए और उसकी भी ठेकेदार से वसूली की जाए तथा वसूली विवरण इस विभाग को भी भेजे जाएं ।

(ङ) वाउचर संख्या 41 दिनांक 9. 3. 90.
राशि रु0 40167/-
उपमंडल संख्या-4
कार्य आदेश संख्या 161 राशि रु013693/-

श्री एन0 एम0 गोयली ठेकेदार का पहला और अन्तिम बिल

इस कार्य आदेश बिल में एम0 बी0 19 के पृष्ठ 11 से 14 तक कार्य की पैमाईश दर्ज की गई है जिसमें जमीन का कटाई सीमेंट रोड़ी का बिछाना तथा इसके ऊपर दीवार का बनाना कार्य की प्रविष्टियां है परन्तु एम0 बी0 अध्ययन से कोई पता नहीं चलता है कि वास्तव में यह कार्य कहाँ अर्थात किस जी0आर0डी0 या एक मकान से दूसरे मकान या किस प्लाट से किस प्लाट के बीच यह दीवार/डंगा लगाने का कथित कार्य हुआ है । इसकी एम0 बी0 में पैमाईश पोर्शन"ए" पोर्शन"बी" और पोर्शन "बी0-1" करके बताई गई है । अतः पोर्शन की वास्तविक स्थिति बताई जाए अन्यथा 13693/-रु0 के व्यय को उपरोक्त आवश्यक विवरण के अभाव में औचित्य बताया जाए ।

(च) वाउचर संख्या 13 दिनांक 5. 3. 90 राशि रु019887/-उपमंडल-5 कार्य आदेश : 162, वर्ष 1989-90.

श्री सुदर्शन सिंह ठेकेदार को लेबल 83 पर दीवार लगाने के लिए स्टोर से 61 बोरी सीमेंट दिया गया था और इसकी थियोरैटिकल खपत 56. 84 बोरी बनती है और इसके ऊपर ठेकेदार को 2. 84 बोरी का भारी लाभ(अधिक न्यून लाभ) दिया गया है इसे मिलाकर कुल 60 बोरी की खपत बनाई है परन्तु 61 बोरी की कटौती साधारण दर पर की की गई है । वास्तव में कार्य आदेश बिलों पर अधिक/न्यून का लाभ देने का कार्य आदेश अनुबन्धों में कहीं प्रावधान नहीं है । अतः ठेकेदार से 4 बोरी (61-56. 84 =4. 16 अर्थात 4 बोरी) सीमेंट की कटौती स्टोर दर से दुगनी दर से होनी चाहिए थी जो नहीं की गई है । अतः ठेकेदार से 288/-रु0 वसूली की जाए या सम्बन्धित दोषी से की जाए । इसकी अनुपालना अगले लेखा परीक्षण में दिखाई जाए ।

(ग) वर्क आर्डर पर करवाए गए कार्यों में सीमेंट की खपत ।

मार्च 1990 में भुगतान किए गए बिलों में देखा गया कि बहुत से कार्य वर्क आर्डर पर करवाए गए हैं । इन कार्यों के लिये विभागीय भण्डार से सीमेंट भी दिया गया है और प्रयुक्त हुए सीमेंट पर वेरियेशन का भारी स्तर का लाभ भी दिया गया है । यह प्रत्येक कार्य 20,000/-रु0 की राशि के हैं और लगभग पहले बिल में ही समाप्त हो गए हैं । वर्क आर्डर कार्य फार्म 11-ए में निहित अनुबन्धों और शर्तों पर करवाए जाते हैं और विभाग प्राधिकरण ने भी इसी फार्म व उन्हीं के अनुसार करवाए हैं । फार्म के शड्यूल-2 की शर्त 5 में लिखित है कि

All the material if available in stock will be issued from the S.D.A. Store/Godown on issue rate as mentioned in schedule-II

अतः अनुबन्ध के प्रावधानों में सीमेंट की खपत पर वेरियेशन का लाभ देने का कोई वर्णन नहीं है अतः कार्यमात्रा पर ही सीमेंट की खपत की गणना की जानी चाहिए परन्तु इन बिलों में, जिनके कुछ उदाहरण नीचे दिये गए हैं, 5% वेरियेशन का लाभ भी ठेकेदार को दिया गया है । हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मानक दर सूचि 1987, 1979 जिसको शिमला विकास प्राधिकरण ने भी अपनाया है, में 10% बर्बादी (विस्टेज) का तत्व पहले ही जुड़ा है फिर इन छोटे कार्यों में वेरियेशन का लाभ देने का कोई औचित्य नहीं है । अतः सीमेंट की खपत पर दिये गए लाभ (5% आर) की वसूली की जाए या वह नियम बताया जाए जिसमें यह देय है । निम्न वर्णित वर्क आर्डरों के अतिरिक्त भी जहाँ लाभ दिया गया हो उसकी भी वसूली की जाए :-

लगातार... 18(2)...

159

Sr,No.	Worder number.	Name of Work.	Agency.	Cement issued.	Theor consumption.	Excess in Bags.	Cost of excess Qty.	
1.	140/89-90	C/o X Wall between plot 4 & 5.	Sh. Ram Rattan Thakur Cont.	47 Bags	45.50	1.50	108/-	
2.	125/89-90	C/o RW RD 1275/79 to 1275/87	M/s New Himachal Builders.	50 Bags	48.50	1.50	-	
3.	83/89-90	C/o RW + B/W RD 0/29 to 0/35.60.	Sh. Seeta Ram.	38 Bags	37	1	72/-	2 works to one Cont. valueing to Rs, 14432.. 14704..
4.	84/89-90	C/o R/W & B/W RD 0/35-50 to 0/42.	Sh. Seeta Ram.	38 Bags	37	1	72/-	
5.	159/89-90	C/o R/W & B/W RD 0/14.25 to 0/18.15	Sh. Gulam Ali.	44 Bags	42	2	144/-	
		-do-	-do-	44 Bags	38	2	144/-	4 Bags transferred to other work.
6.	160/89-90	RD 0/18.15 to 0/22.	Sh. N.L. Popli.	51 Bags	48	3	216/-	
7.	158/89-90	RD 0/24 to 0/29.						
8.	147/89-90	RD 49.75 to 57	Sh Narender Verma	43 "	31.66	11	792/-	Recovery effected for 43 bags in the bill for Rs, 3096/-
9.	81/89-90	~~c/o~~ RD 0/14.50 to RD 0/19.50.	Sh, N.L. Popli.	52 Bags	49.31	3	216/-	
10.	151/89-90	C/o Masonary steps between plot 14 &15 (Level B-1)		28 Bags				
11.	162/89-9	C/o Side Walls of House-B (Level-83)	Sh. Sudershan Singh.	61 Bags	57	4	288/-	
						Total Rs,	2052/-	

Note :- Variation allowed has not been approved by the Divisional Officer.

... ...

-160

(4) वाउचर संख्या 26 दिनांक 7.3.90 राशि 16380/-रु0 ग्रौस 20052/-रु0
कार्य आदेश संख्या 158/89-90.
आर0 डी0 0/24.20 से 0/29 तक दीवार लगाने का काम :-

इस कार्य को श्री एन0 एल0 गोगी ठेकेदार से करवाया गया था और इसकी तकनीकी स्वीकृति 19803/-रु0 की थी जो अधिशाषी अभियन्ता द्वारा प्रदान की गई थी । परन्तु इस पर व्यय एवं भुगतान 20052/-रु0 का हुआ है जो स्वीकृति से 249/-रु0 अधिक है और 20,000/- से अधिक व्यय की स्वीकृति देने के लिए (वर्क आर्डर) अधिशाषी अभियन्ता सक्षम भी नहीं है । अतः 249/-रु0 की ठेकेदार से कटौती की जाए ।

(5) वाउचर संख्या 68 दिनांक 17.3.90 राशि
14597/-रु0
कुल राशि 18773/-
कार्य आदेश 150/89-90.

प्लॉट 12 और 13 के बीच सीढ़ियाँ बनाने का कार्य श्री राजकुमार बिज ठेकेदार को दिया गया था । इस कार्य के लिए उसे 58 बोरी सीमेंट दिया गया था परन्तु पहले और चालू बिल में सीमेंट की खपत 28 बोरी थी जिसकी बिल में कटौती कर दी गई है और शेष 30 बोरी की बसूली/कटौती होनी बाकी है । यदि अगले बिल में कटौती करनी थी परन्तु शेष कार्य रु01237/- का ही होना शेष है और सीमेंट की ही 72/-रु0 प्रति बोरी की दर से रु02160/-रु0 की कटौती होनी चाहिए ठेकेदार को सीमेंट मात्रा से अधिक वितरित किया है । अतः अगले लेखा परीक्षण में 2160/-रु0 की बसूली के अभिलेख दिखाए जाएं ।

(6) वाउचर संख्या 1 दिनांक 1.3.90 राशि रु04317/- कुल राशि 123570/-रु0 कार्य बी0सी0 एस0 के नीचे आवासीय परिसर का निर्माण (उप शीर्ष : छूटे हुए हिस्सों पर सम्पर्क मार्गों का निर्माण आर0 डी0 0/00 से 0/180 तक :

अनुबन्ध : संख्या-3, वर्ष 89-90.

श्री रमेश कुमार ठेकेदार ने यह कार्य चौथे और अन्तिम बिल में

....19....

1,68,648/-रु0 में पूरा किया है इसकी निविदित राशि 1,14212.35 रु0 थी । अत: निविदित राशि से कुल व्यय निर्धारित/स्वीकार्य ज्यादी प्रतिशत: से अधिक है जिसका संशोधित अनुमान-पत्र बनाकर दिखाया जाए । [एम0बी0 143 पृष्ठ-93]

एम0 बी0 के पृष्ठ-78 पर आर0 डी0 40 से 53.40 तक 1:6 में कोर्सड रैंडम रबेल स्टोन मेसनरी का काम किया गया बताया है और इसकी मात्रा 3.59 घन मीटर है परन्तु सार में यह मद वर्गाकार [Squared] रबेल स्टोन मेसनरी में लिया गया है । रैंडम रबेल स्टोन मेसनरी की दर रु0235/-घन मीटर है और वर्गाकार [Squared] रबेल मेसनरी की दर रु0 450/-प्रति मीटर है । अत: इस क्रम के कारण 771.85 रु0 [रु0215×3.59] के अधिक भुगतान होने की सम्भावना है । सहायक अभियन्ता ने भी 6.2.90 को कोर्सड रबेल मेसनरी को सत्यापित किया है । अत: अधिक भुगतान की छानबीन करके वस्तु स्थिति से अवगत करवाया जाए और 771.85रु0 की ठेकेदार से कटौती की जाए ।

[7] वाउचर संख्या 162 दिनांक 23.3.90 राशि रु0 1,28,147/- अनुबन्ध संख्या 5, वर्ष 1989-90.

श्री राजीव चौन्ड़ा ठेकेदार को इस तीसरे और अंतिम बिल तक डंगे और दीवार लगाने के 5,86,984/-रु0 [कुल राशि] का भुगतान किया गया है । इस कार्य के लिये उन्हें मजदूरी दरों पर [लेबर रेट पर] 1.30रु0 प्रति किलो की दर से सरिया स्टोर से दिया गया है जिसकी खपत 18.96 मीट्रिक टन हुई है । कार्य पर स्टील की बर्बादी को 5% की दर से कटौती नहीं की गई है । अत: ठेकेदार से 1232.40रु0 की कटौती की जाए और अभी तक कटौती न करने का कारण भी बताया जाए ।

8. भण्डार और भण्डारण वस्तुएं

[क] [I] मंडल नं0 1 ने 2.862 मीट्रिक टन स्टील मंडल नं0 2 से प्राप्त करने के लिए इन्डैंट संख्या के0 एम0 एस0 -5 दिनांक 25.11.89 प्रस्तुत किया । मंडल नं0 2 के कनिष्ठ अभियन्ता श्री आई0 सी0 शर्मा ने 2.862 मीट्रिक टन सरिया मंडल नं0 1 को वितरित किया जिसकी कीमत उन्होंने 24293/-रु0 लगाई परन्तु कनिष्ठ अभियन्ता मण्डल नं0 1 श्री के0एम0 खन्ना ने जी0आर0 संख्या 471 दिनांक 25.11.89 को इस सरिये के लेते समय इसकी कीमत 21247/-रु0 लगाई । अत: दोनों मंडलों में दर मूल्य में रु03046/- का अन्तर पड़ गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए ।

[II] उपरोक्त [I] की भांति मंडल नं0 1 ने 330 बोरी सीमेंट प्राप्त करने के लिए मंडल नं0 2 को इन्डैन्ट संख्या के0 एम0-12 दिनांक 15.2.90 प्रस्तुत किया और मंडल -2 स्टोर ने 330 बोरी 76/-रु0 प्रति बोरी की दर से 25080/-रु0 का सीमेंट दिया । परन्तु मंडल नं0 1 ने जी0 आर0 संख्या 490 दिनांक 15.2.90 को यह 330 बोरी सीमेंट ले लिया और इसकी कीमत 74/-रु0 प्रति बोरी की दर से 24420/-रु0 का कम लिया गया बताया । अत: इस आदान प्रदान में मूल्य दर में 660/-रु0 का अन्तर आ गया है ।

.....20..

-162

उपरोक्त दोनों आदान प्रदान में दोनों मंडलों में रू03706/- रू03046+660/- का अन्तर आ गया है इसका लेखों में सम्बन्धित मंडल समायोजन करें। मुख्यालय ने इसका सही समायोजन जरनल वाउचर संख्या 51 (वर्ष 89-90) में कर दिया है परन्तु सम्बन्धित मंडल भी आपस में इस अन्तर का समायोजन करें। इसकी अनुपालना अगले लेखा परीक्षा में दिखाई जाए।

(ख) उपरोक्त पैरा 8(क)(II) में वर्णित सीमेंट के सम्बन्धित दोनों मण्डलों में हुए आदान प्रदान से प्रतीत हुआ है कि मंडल नं0 2 ने दिनांक 22.2.90 को 330 बोरी सीमेंट दी थी परन्तु मंडल ने एक ने इसकी प्रविष्टि 15.2.90 को ली है जो एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है क्योंकि स्टोर मंडल दो 22.2.90 को उधार देता है और उधार लेने वाले मंडल एक ने इसे 15.2.90 अर्थात एक सप्ताह पूर्व बिन कार्ड में लिया है। इससे स्पष्ट होता है कि बिन कार्ड में प्रविष्टियां आदान प्रदान के आधार पर नहीं होती है। लेखा परीक्षा को आशंका है कि यह लेन देन केवल पत्रों में ही हुआ है और वास्तव में नहीं और यह भी सिद्ध करता है कि मंडल नं0-1 के पास 330 बोरी सीमेंट 15.2.90 को फालतू था इस तथ्य को चलान आदि भी स्पष्ट करते हैं जो नहीं हुआ है। अतः 330 बोरी की स्टॉक/बिन कार्ड में और प्रविष्टि करवाई जाए या सम्बन्धित कर्मचारियों और अधिकारियों से रू025080/- की वसूली की जाए। यह मामला मुख्यकार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य अभियन्ता शिमला विकास प्राधिकरण के व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि वे समय-समय पर भण्डार वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाएं।

(ग) <u>मंडल नं0 1</u>

जी0 आर0 संख्या 466 दिनांक 16.10.89 को अन्य भण्डार वस्तुओं के साथ 12 टावर बोल्ट 150 एम0 एम0 ×10 एम0 एम0 के भी आए थे। इनका मूल्य 32/रू था। परन्तु ये स्टॉक में नहीं आए थे, इनकी न कोई प्रविष्टि है और आगे वितरण विवरण भी नहीं है। अतः इनका दुर्विनियोजन हुआ है जिसकी वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जाए।

(घ) मंडल नं0 1

जी0 आर0 संख्या 468-ए दिनांक 9.11.89 डुप्लीकेट

8,10,12 और 16 एम0 एम0 व्यास की 4.060 मीट्रिक टन स्टील यू0 सी0सी0 कंस्ट्रक्शन से इस जी0 आर0 द्वारा प्राप्त हुई बताई गई है। यह जी0 आर0 मूल नहीं है और जी0 आर0 का संख्या 468,469, 470 इत्यादि लगती है और एस0डी0 किसी अनियमितता के ऊपर पर्दा डालने का प्रयास है यह जी0 आर0 डुप्लीकेट बनाई है। यह स्टील, कम्पनी के किस कार्य, अनुबन्ध आधीन शेष रही थी और किस एम0ए0एम0 में प्राप्त ली गई है इसका कोई विवरण नहीं है। यू0 सी0सी0 के सभी कार्य 30.6.89 को निरस्त हो गए थे अतः यह स्टील 30.6.89 को न लेकर 9.11.89 को भण्डार में लेने के कारण बताएं जाएं। इतनी अवधि तक स्टील कहां रही। कार्य का एम0 बी0 नं0 वितरण जहां से यह स्थानांतरित की गई है अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए। जी0 आर0 संख्या 468-ए अंकित करने का नियम उद्धृत किया जाए।

163

(ङ) रु0 ~~14614~~ 14614.56 की सी0जी0आई0 शीटों का सम्भावित दुर्विनियोजन.
जी0आर0 संख्या 468 दिनांक 9.11.89. * वितरित की गई है। इसके पश्चात् इसका शेष

इस जी0 आर0 के अन्तर्गत 9.11.89 को 9.97 मीट्रिक टन 0.63 एम0 एम0 व्यास की सी0जी0 आई0 शीटें स्टोर में खरीद द्वारा आई थी । इसकी प्रविष्टि बिन कार्ड संख्या एस0डी0आर0-7 में 9.1.89 को दिखाई गई है और इसी 9.97 में से 13.9.89 को 0.816 मीट्रिक टन 10 फुट की शीटें *9.154 मी0टन बताया गया है । अतः 13.9.89 को बिन कार्ड/भण्डार में शीटों का शून्य शेष था और 9.11.89 को क्रय की गई सामग्री से 0.816 मी0 टन के वितरण का 13.9.89 को डेबिट नहीं हो सकता है । इससे स्पष्ट है कि 0.816 मी0 टन शीटें पहले भण्डार में फालतू थीं जिसे अतिशेष में से घटाया नहीं जाना चाहिए था । इन फालतू शीटों को नियमानुसार भण्डार में प्रविष्टि होनी चाहिए और अतिशेष को सक्षम प्राधिकारी सत्यापित करें अन्यथा सम्बन्धित दोषी से 14614.56 रु0 (@ रु0 17910/- प्रति टन की दर से) की वसूली की जाए । इस पर की गई कार्यवाही से इस विभाग को भी यथा समय सूचित किया जाए ।

(च) स्टील के स्थानान्तरण में 3600/-रु0 का अन्तर मेसर्स नेशनल कंस्ट्रक्शन ब्यूरो से 20.35 क्विंटल स्टील 8 एम0एम, 10 एम0 एम0 और 12 एम0एम0 व्यास की वापिस आई0 थी जिसकी कीमत जी0 आर0 संख्या 478 दिनांक 18.12.89 व राशि 12210/-रु0 थी । यह स्टील कम्पनी को मध्यम आय वर्ग-2 के 16 फ्लैट (चतुर्थ चरण) के कार्य को वितरण से शेष स्टोर में आई थी । जी0 आर0 के अनुसार कम्पनी को 12210/-रु0 के अन्तरण का लाभ दे दिया गया और कार्य को इस राशि जितना क्रेडिट दे दिया और स्टोर कीमत 12210/-रु0 की बढ़ाई गई । परन्तु जी0 आर0 की एक प्रति जो मासिक लेखों के साथ मंडल कार्यालय को भेजी उसमें स्टील की मात्रा निम्नानुसार कम प्रदर्शित करके भेजी । बाद में स्टोर कनिष्ठ अभियन्ता ने अपनी कार्यालय प्रति में भी स्टील मात्रा काटछांट करके कम करके 14.35 क्विंटल कर दी (अर्थात 6 टन का अन्तर डाल दिया) इसमें यह वर्णन भी यहाँ करना उचित है कि स्टील का मूल्य दोनें प्रतियों में 12210/-रु0 (600/-रु0 प्रति 100 किलो ग्राम) ही दिखाया गया है :-

स्टील का व्यास	मात्रा: मूल जी0 आर0	मात्रा: प्रतिलिपि कापी पर दर्शायी गई	मूल्य रु0
8 एम0एम0	3.50 क्विंटल	3.50 क्विं	2100.00
10 " "	4.05 "	4.05 "	2430.00
12 " "	12.80 "	6.80 "	7680.00
योग	20.35	14.35	रु0 12210.00

अतः इस अन्तरण से 6 क्विंटल स्टील जिसकी कीमत 3600/-रु0 है स्टोर में कम प्राप्त की और ठेकेदार से 20.35 क्विंटल प्राप्त की जिससे स्पष्ट है कि 3600/-रु0 का दुरूपयोग हुआ जिसका उत्तर दायित्व निर्धारित किया जाए और वसूली के विवरण दिये जायें।

(छ) जी0 आर0 संख्या 483 दिनांक 13.1.90

इस जी0 आर0 द्वारा प्राप्त टौर स्टील दो वाहनों में (मात्रा 15.220टन) आई थी जी0 आर0 के परीक्षण में पता चला कि स्टील की उतराई 2/-रु0 प्रति क्विंटल की दर से 20 टन की दे दी गई जबकि स्टील 15.220 टन ही आई थी जिसकी उतराई स्टील की मजदूरी 95.60 रु0 अर्थात 96/-रु0 अधिक दे दी गई है। इसकी वसूली सम्बन्धित दोषी से की जाए।

(ज) अधिशासी अभियन्ता मंडल 2 ने लोक निर्माण विभाग मंडल 3 को 500 बोरी सीमेंट इन्डेन्ट संख्या एस0 के0 जी0/89/112 दिनांक 2.6.89 द्वारा दिये जिसमें से लोक निर्माण विभाग ने 400 बोरी सीमेंट का मूल्य और 100 बोरी सीमेंट दिया। परन्तु 100 बोरी सीमेंट मंडल नं0 2 की ओर से मंडल नं0 1 ने ही ले लिया और इस पर ट्रक का भाड़ा और स्टोर में रखने के रु0450/- भी लोक निर्माण विभाग को भुगतान कर दिया जो अनियमित है। हमारे द्वारा उधार दिये गए माल की पुनः प्राप्ति करने पर ट्रक का भाड़ा देने और उतारने की मजदूरी का भार उधार लेने वाले विभाग पर है। अतः जिस अधिकारी/कर्मचारी ने 450/-रु0 की दस्ती रसीद पारित की है उनसे इसकी तुरन्त वसूली की जाए।

(झ) 28709/-रु0 भण्डार वस्तुओं की कमी कनिष्ठ अभियन्ता स्टोर ने 31.3.90 को भण्डार वस्तुओं के इतिशेष दिए हैं और उनका मूल्य भी तुलन पत्र में आया है। उनके द्वारा बनाई गई सूचि अनुसार जो परिशिष्ट "ग" पर है, भण्डार मंडल 1 के पास 31.3.90 को 1179853/-रु0 की भण्डार वस्तुएं थी जिनमें टौर स्टील और सीमेंट भी सम्मिलित है। इस तिथि को प्राधिकरण के भण्डार रूम में 8 एम0 एम0 10 और 16 एम0 एम0 व्यास की स्टील के शेष क्रमशः 11.333, 26.794 और 0.351 टन थे (परिशिष्ट अनुसार) परन्तु स्टील वितरण में यह अनियमितता देखी गई कि जब किसी मात्रा में स्टील अथवा सीमेंट दिया गया तो उसके दैनिक शेष में अन्तर डाल दिया गया। उदाहरणार्थ 11.8.89 को 10 एम0 एम0 टौर स्टील का पूर्व शेष 36.474 टन था और उस दिन 4.645 टन स्टील वितरित की गई अतः इस दिन का इति शेष 31.829 होना चाहिए था परन्तु बिन कार्ड एस0डी0एस0 2 में यह इति शेष 29.829 टन दिखाया गया परिणाम स्वरूप 2 टन स्टील का इति शेष कम दिखाकर इसका दुरूपयोग किया गया है। इस प्रकार की अनियमितताओं का विवरण नीचे दिया गया है जिसकी प्रतिपूर्ति सम्बन्धित दोषी से की जाए:-

यद्यपि उक्त मूल्य की भण्डार वस्तुएं अभी भण्डार में पड़ी थी किन्तु उन्हें तदानुसार लेखाओं में नहीं दर्शाया गया।

-165-

भण्डार वस्तु का नाम	वितरण तिथि	गर्ड शेष	वितरित मात्रा	दिखाया गया शेष ।	अन्तर
स्टील 10एम0एम0	11. 8. 89	36. 474 टन	4. 645 टन	29. 829 टन	2 टन
" 16एम0एम0	-. 9. 89	7. 467	3. 00	3. 467	1 टन
" 8 एम0एम0	9. 10. 89	63. 430	16. 551	46. 849	0. 03टन
" 8 " "	28. 11. 89	41. 569	4. 614	36. 945	0. 01टन
					3. 94 टन
सीमेंट 2. 12. 89		155 बोरी	300	120 बोरी	50 बोरी

मूल्य स्टील	8300	10एम0एम0	16600. 00
"	8025	16 " "	8025. 00
"	8350	8 " "	334. 00
सीमेंट	रू0 75 प्रति बोरी		3750. 00
		योग रू0	28709. 00

इस राशि की नकद में वसूली की जाए और विवरण अगले लेखा परीक्षण में दिखाया जाए ।

मंडल नं0 2.

(अ) प्राधिकरण निर्माण मंडल 1 ने दिनांक 13. 6. 89 को 24. 405 मीट्रिक टन टोर स्टील इंडेन्ट संख्या एस0डी0ए0/एस0स्स/आई0सी0-2 दिनांक 13. 6. 89 द्वारा नं0 2 को स्थानान्तरित किया परन्तु मंडल नं0 2 ने इसको जी0 आर0 संख्या 6 द्वारा मई, 89 में प्राप्ति दिखाई है । परन्तु 24. 405 टन स्टील की बजाए 24. 05 टन की जी0 आर/बिन कार्ड में ली अत: 355 किलो स्टील की बीच में शिकरेज हो गई है । मूल्य दर जी0 आर0 तथा लेखों में पूरी मात्रा अर्थात 24. 405 टन की लगी है । यद्यपि मुख्यालय ने कनिष्ठ अभियन्ता श्री आई0सी0 शर्मा के नाम 2647/-रू0 इंदराज कर दिया है जिसकी वसूली अभी तक नहीं की है और अगले वर्ष में इसे समायोजित करने का प्रयास किया जा रहा है जो अनियमित है । श्री शर्मा से 2647/-रू0 की नकद वसूली की जाए और किसी भी प्रकार वस्तुमात्रा में समायोजन न किया जाए ।

इस लेनदेन प्रक्रिया से विदित है कि मंडल नं0 1 जून, 89 को स्टोर दे रहा है और प्राप्त करने वाला मंडल इसको मई, 89 में अर्थात एक मास पूर्व प्राप्त कर रहा है । सम्बन्धित निर्माण मंडल तथ्यों का पता लगाएं और वस्तुस्थिति से अवगत कराएं तथा उचित कार्यवाही जो अपेक्षित हो वह भी सम्बन्धित दोषियों के विरुद्ध करें ।

....24..

166

9. 173847/-रू0 की कीमत की स्टोर वस्तुओं का संदिग्ध लेन देन ।

स्टोर अधिकारी मंडल नं0 2 ने इंडेन्ट संख्या एस0 डी0ए0/आई0सी0/6 किदास नगर दिनांक 1. 2. 90 स्टील प्राप्त करने के लिए मंडल नं0 1 को प्रस्तुत किया मंडल नं0 1 ने निम्न प्रकार की स्टील जिसकी कुल मात्रा 126.528 टन थी अपने स्टोर से वितरित की ।

स्टील 25 एम0 एम0 व्यास	12. 189 टन
" 22 " " "	.839 "
20 " " "	17. 785 "
16 " " "	31. 205 "
12 " " "	32. 885 "
10 " " "	10. 805 "
8 " " "	20. 820
योग	126. 528

परन्तु मंडल नं0 2 ने जब स्टील प्राप्त की तो जी0 आर0 33/89 दिनांक 1. 2. 90 में 105. 708 टन की ही प्राप्ति दिखाई । इसमें 8 एम0 एम0 व्यास की 20. 820 टन स्टील की प्राप्ति छोड़ दी और मासिक लेखों के साथ मंडल मुख्यालय को यही जी0 आर0 भेजी और बाद में अपनी कार्यालय प्रति पर 20. 820 टन की स्याही से (जो अन्यथा कार्बन कापी थी) प्रविष्टि कर दी । प्रथम बार बिन कार्ड पर भी 1. 2. 90 को 105. 708 टन ही दर्ज की थी और 20. 820 टन मात्रा (8 एम0 एम0) छोड़ दी थी । परन्तु बाद में वर्ष 1990-91 में सम्भवतः मई, 91 में इस 20. 820 टन की प्रविष्टि कर दी और इसका प्रभाव* 1. 2. 90 से दिखा दिया जिसे 1. 2. 90 से मई तक अभिलेख में हुई प्रविष्टियां प्रमाणित करती हैं (बिन कार्ड अवलोकन किया जाए) इस गड़बड़ की गई स्टील जिसकी कीमत रू0 173847/- थी का आगे भी प्रमाण मिलता है कि जब प्राधिकरण मुख्यालय ने दोनों मंडलों में हुए वर्ष में आदान प्रदान का मिलान किया तो इस दुर्विनियोजित स्टील का पता चला कि मंडल नं0 1 ने जो रू0173847/- कीमत की स्टील मंडल 2 को इंडेन्ट संख्या एस0 डी0 ए0/आई0सी0/6/किदासनगर दिनांक 1. 2. 90 द्वारा दी थी वह उसने (मंडल 2 ने) अपनी जी0 आर0 में 20. 820 टन की मात्रा ली ही नहीं थी) मुख्यालय ने भी इस मामले की गम्भीरता की अनदेखी की और लिखत राशि 173847/-रू0 को श्री आई0सी0 शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता के नाम ऋण बनाकर लेखों का मिलान कर दिया । जब इस छानबीन का श्री शर्मा को पता चला तो उन्होंने बिन कार्ड में 1. 2. 90 के पश्चात हुई सभी प्रविष्टियों को काटपीट कर 20. 820 टन स्टील की प्रविष्टि कर दी । यद्यपि विभाग ने श्री शर्मा को रू0173847/- (कुल राशि रू0 176364/-) का देनदार बनाया है परन्तु इसकी कोई भी वसूली नहीं की गई है और अगले वित्तीय वर्ष में बिन कार्ड में काटपीट के आधार पर समायोजन किया जा रहा है जो अनियमित है । यह मामला मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य अभियन्ता के व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है

....25...

167

कि वे लेखों में इस दुर्विनियोजन का समायोजन करने से पहले पूरी छानबीन कर लें और परिणामों से इस विभाग को भी अवगत करायें। यहाँ यह लिखना भी उचित है कि स्टील का किसी भी स्तर पर किसी अधिकारी ने प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया है और इस औपचारिकता को पूरे किए बिना ही अभिलेख में काटछांट की गई है।

10. हरियाणा कनकास्ट सीमित हिसार से स्टील खरीदने पर प्राधिकरण को 106225.77 रु० की भारी हानि

वाऊचर संख्या 18 दिनांक 6.12.89 राशि रू0 431179/- विकास प्राधिकरण ने हरियाणा हिसार से ढुलाई सहित 443236.25 रु0 की 39.90 टन स्टील जिसका व्यास अनुसार विवरण नीचे दिया गया है की खरीद की। विकास प्राधिकरण अपने कार्यों में प्रयोग वाली स्टील भारत स्टील प्राधिकरण के यार्ड चण्डीगढ़ से खरीदती आई है परन्तु यह स्टील हिसार से ली गई और इसकी दर भी सामान्यतः खरीद की जाने वाली स्टील से बहुत अधिक है और दूरी भी अधिक होने के कारण ढुलाई भी अधिक देनी पड़ी है :-

जी0 आर0 संख्या एवं तिथि	स्टील का व्यास	मात्रा टन में	दर प्रति टन	मूल्य
25/89 दिनांक 10.12.89	12एम.एम	9.980	9981/-	99610.38
28/89 " 15.12.89	16एम.एम	9.960	9981/-	99410.76
28/89 " "	12 " "	3.240	9981/-	32338.44
28/89 " "	10 " "	6.720	"	67072.32
28/89 " "	10 " "	10.00	"	99810.00
योग		39.90		398241.90
8% बिक्री कर				31859.35
ढुलाई जी0 आर 25/89				13135.00
				443236.25

अतः स्टोर में पहुंच का दर 11108.68 रु0 प्रति टन हुआ। अन्य स्रोतों से शिमला विकास प्राधिकरण ने 8446.40 रु0 प्रति टन स्टील खरीदा है जैसे भारत स्टील प्राधिकरण बरोटीवाला से जी0 आर0 संख्या 20/89 दिनांक 10.11.89 को 10.025 मीट्रिक टन स्टील का निम्न रूप से दर दिया गया है :-

10.025 टन	मूल्य	83000.00रु0
ढुलान		1675.00रु0
	योग	84675.00रु0
दर प्रति टन		8446.38
अर्थात		8446.40रु0

अतः उपरोक्त तुलनात्मक दर अध्ययन से स्पष्ट है कि हरियाणा कनकास्ट हिसार से रु02662.30 प्रति टन की दर से महंगी स्टील खरीदी गई.... 26..

168

जिससे परिणाम स्वरूप 39.90 टन स्टील पर 106225.77 रु0 अधिक भुगतान हुआ जो विकास प्राधिकरण को सीधा घाटा है । इसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए । शिमला विकास प्राधिकरण एक व्यावसायिक इकाई है और इसे आबंटितों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। वास्तव में महंगी खरीद का ग्राहियों के ऊपर सीधा अधिभार पड़ा है जो अति आपत्तिजनक है । जब यह खरीद की गई तो प्राधिकरण भण्डारों में पर्याप्त मात्रा में स्टील पड़ी थी और कोई आपतकालीन स्थिति भी नहीं थी । इस अधिक व्यय का दायित्व निर्धारित किया जाए तथा अन्तिम कार्रवाई से क्या समय इस विभाग को सूचित किया जाए ।

11. विभिन्न योजनाओं में पंजीकृत ग्राहियों से समय पर किश्त न आने से 138790.80 रु0 की कम वसूली ।

शिमला विकास प्राधिकरण के पास मकान, फ्लैट या प्लॉट प्राप्त करने के लिए विभिन्न ग्राही पंजीकृत हैं । उन्हें उनकी इकाई की कीमत किश्तों में पूरा करने की तिथियां निश्चित की गई हैं और प्रत्येक ग्राही को निर्धारित या उससे पहले की तिथि तक किश्त जमा करवाने के लिए अपेक्षित किया गया है । निर्धारित तिथि के बाद किश्त देने की अवस्था में यह प्रावधान है कि विलम्ब की अवधि का 18% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त किया जाए लेखा परीक्षण में देखा गया कि बहुत से ग्राहियों से समय के बाद किश्त आने पर ब्याज नहीं लिया गया है जिससे फलस्वरूप 1,38,790.80 रु0 नहीं प्राप्त किये गए । यह एक प्रकार से विकास प्राधिकरण के राजस्व में घाटा है । उपरोक्त राशि का पूरा विवरण नीचे दिया गया है । इसकी प्राप्ति सम्बन्धित ग्राहियों से की जाए और अनुपालना अगले लेखा परीक्षण में दिखाई जाए :-

पंजीकरण संख्या	किश्त संख्या	निर्धारित तिथि	तिथि जिसको भुगतान हुआ	विलम्ब अवधि	किश्त की राशि	ग्राही का नाम ब्याज की राशि
डि/एस0ए0 एस0/ए0/4238	नवमीं	9.12.89	17.3.90	98दिन	7200/-	श्रीमती आशारानी जालन्धर 347.90रु0
डि/एस0ए0एस0 /बी0/4251.	—	9.12.89	6.5.90	148दिन	10200/-	744.44रु0
प्र0/एस0ए0एस0/ व्या0/5006	चौथी	7.12.88	1.7.89	206दिन	269298/-	27357/- महाप्रबन्धक हैंडलूम निगम
-यथोपरि-	पांचवीं	7.3.89	6.1.90	305	269298/-	40504/-रु0 -यथोपरि-
-यथोपरि-	छठी	7.6.89	17.4.90	314	269298/-	41699.20रु0 -यथोपरि-
प्र0/एस0ए0एस0/ व्या/5011	चौथी	7.6.89	10.1.90	217	45,000/-	4815/-रु0 मै0 राजमल गोविन्दराम
-यथोपरि-/5008	छठी	30.6.89	1.7.89	1	984654/-	486/-रु0 हि0प्र0 वन निगम शिमला।

-एफ०डी०आर०-/5016	तीसरी	30.6.89	4.7.89	4	8,37000/-	1651/-रू0 महाप्रबन्धक दूरसंचार हि०प्र०
-एफ०डी०आर०-/5015	तीसरी	30.6.89	4.7.89	4	3,76344/-	742.32 दीपिका कपूर शिमला।
ए०/एस०ए०ए० एस/ ब्याज/के०जे०डी०सी/ 5017	छठी	30.6.89	1.8.89	32 दिन	90,000/-	1420/-रू0 मै०छांगामल गुप्ता
-एफ०डी०आर०-/5018	दूसरी	30.4.89	6.11.89	190दिन	60,000/-	5620.20
		30.4.89	28.12.89	242 "	30,000/-	3579.18
		30.6.89	5.2.90	220 "	50,000/-	5423.00
		30.6.89	8.2.90	223 "	40,000/-	4397.56
पोथी/एस०ए०एस०/ एच०आई०जी०/4853	उन्नतीसवीं	9.4.89	13.4.89	4दिन	20,000/-	रू04/- श्री सतिन्द्र मोहन भरतनगर

कुल योग रू0 138790.80

12. <u>प्राधिकरण वाहन:-</u>

वाहनों की लॉग बुक्स या तो लेखा परीक्षा में दिखाई नहीं गई या इनमें पेट्रोल की पूरी प्रविष्टियां नहीं है और न ही व्यक्तिगत प्रयोग की निर्धारित कि०मी० दर से वसूलियाँ की गई है। इनमें पाई गई आपत्तियां आगे वर्णित पैरों में संकलित की गई है जिनके ऊपर तुरन्त कार्यवाही की जाए। इसके अतिरिक्त भी विभागीय तौर पर वाहनों की लॉग बुक्स की पड़ताल की जाए और लिप्त राशि को सम्बन्धित प्रयोगकर्ता से प्राप्त किया जाए।

क) वाऊचर संख्या 70 दिनांक 31.3.90 राशि 15945.74रू0

इस वाऊचर के अन्तर्गत 456.25 रू0 की राशि का पेट्रोल प्राधिकरण के वाहनों के लिए खरीदा गया बताया गया है और खरीदे गए पेट्रोल की प्रतिपूर्ति लेखों में ले ली गई है परन्तु सम्बन्धित वाहनों की लॉग बुक्स के परीक्षण से पता चला कि पेट्रोल वाहनों में डाला ही नहीं गया है और सम्बन्धित महीनों की औसत में भी अन्तर आया है। इससे स्पष्ट है कि पेट्रोल किसी की निजि वाहन में डाला गया है। अतः इस अनियमितता की छानबीन करके

170

सम्बन्धित दोषी से राशि वसूल की जाए । जिन अधिकारियों ने बिल सत्यापित किए हैं उनका भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए । व्ययके विवरण इस प्रकार हैं ।

सब वाउचर संख्या 17	102.84रू0	12 लीटर पैट्रोल	नकद पर्ची संख्या 2731 दिनांक 1.3.90 (वाहन एच0पी0एस02453)
" " 18	253.41रू0	19. लीटर पैट्रोल तथा एक लीटर मोबाईल आईल तथा 20 लीटर पैट्रोल.	वाहन एच0पी0 एस0-2673 के लिए खरीदा गया बताया है ।

(ख) वाउचर संख्या 70 दिनांक 31.3.90 राशि 15945.74रू0 xxxxxxxxxxxxxx
सब वाउचर संख्या 13 दिनांक 31.3.90 290/-रू0
" " " 15 " 31.3.90, 230/-रू0

उपरोक्त वाउचरों के अन्तर्गत चण्डीगढ़ ऑटोमोबाईल से प्राधिकरण वाहन एच0पी0 एस0-2673 की मुरम्मत, टयूब डालने ब्रेक का तेल बदलने तेल शोधक को बदलने और 5 लीटर मोबाइल आईल डालने के 520/-रू0 भुगतान किये हैं । इनकी प्रविष्टियाँ लॉग बुक में नहीं है और पुराने सामान की भी प्रविष्टियां नहीं है । अतः व्यय का औचित्य बताया जाए ।

(ग) वाउचर संख्या 69 दिनांक 31.3.90 राशि 16415.28रू0
सब वाउचर संख्या राशि 438.39 रू0
" " " 29 99.00 रू0

उपरोक्त वाउचरों के अधीन प्राधिकरण की जीप एच0पी0एस0-2453 की मैसर्ज खन्ना मोटरज़ ढली से मुरम्मत करवाई है । इस व्यय की वाहन के रख रखाव रजिस्टर में प्रविष्ठी नहीं हुई है ऐसा न करने के कारण बताए जाएं तथा आवश्यक प्रविष्ठियाँ अब पूरी की जाएं ।

(घ) लेखा परीक्षण में वाहनों के दुरूपयोग के कई मामले प्रकाश में आए हैं । एक ही स्थान से एक ही गंतव्य स्थान को जाने और लौटाने की दूरियां विभिन्न तिथियों में विभिन्न है और वास्तविक दूरी से कहीं बहुत अधिक दर्शाई गई हैं । अन्तर का न तो कोई कारण बताया गया और न ही किसी अधिकारी की व्यक्तिगत यात्रा बताई गई है । इससे स्पष्ट है कि वाहनों का निजि प्रयोग हुआ है । इसके कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं और दूरी में दर्शाए किलोमीटर अन्तर की वसूली सम्बन्धित अधिकारी से की जाए ।

....29....

तिथि	वाहन न०	दूरी जो लाग बुक में बताई गई ।	वास्तविक दूरी	अन्तर कि०मी०	स्थान जहाँ वाहन गए
5.6.89	2453	60	34कि०मी०	26	गैरेज से हिमौह पैट्रोल पम्प अश्विनी खड और वापिसी
7.6.89	"	69	34 " "	35	--यथोपरि--
9.6.89	"	85" "	34 " "	51	---यथोपरि--
12.6.89	"	86" "	34 " "	52	गैरेज से कुसुम्पटी, शिमला, से कुसुम्पटी अश्विनी खड और वापिस गैरेज ।
16.6.89	"	65	28 "	37	गैरेज से परिमहल अश्विनी खड और वापिसी ।
17.6.89	"	60	32	28	गैरेज से अश्विनी खड सर्विस स्टेशन और वापिस गैरेज
14.6.89	"	85	34	51	कुसुम्पटी से खलीनी, खलीनी से अश्विनी खड वापिस पैट्रोल पम्प और गैरेज ।
21.6.89	"	81	46	35	गैरेज से पैट्रोल पम्प, पम्प से अश्विनी खड वापिसी खलीनी।
30.6.89	"	84	18	66	कुसुम्पटी से खलीनी, शिमला और वापिसी गैरेज ।
5.6.89	2673	73	22	55	खलीनी से विंटर फील्ड और वापिसी ।
14.6.89	"	73	31	42	गैरेज से अश्विनी खड वापिसी खलीनी और गैरेज ।
16.6.89	"	86	21	65	खलीनी से पैट्रोल पम्प और वापिसी खलीनी और गैरेज ।
17.6.89	"	80	21	59	खलीनी से अश्विनी खड, वापिस खलीनी और खलीनी से गैरज ।
18.6.89	"	89	43	46	गैरेज से ढली, ढली से खलीनी खलीनी से अश्विनी खड और वापिसी ।
19.6.89	"	75	23	52	गैरेज से अश्विनी खड और वापिसी खलीनी ।
23.6.89	"	100	36	64	खलीनी से ढली, वापिस खलीनी खलीनी से सचिवालय और वापसी गैरेज ।
				764कि०मी०	

172

(ङ) कार एच0 पी0एस0-3228.

इस वाहन के व्यय बिल, पैट्रोल और मोटर आईल इत्यादि के निरन्तर कार्यालय में आ रहें हैं और इनकी निकासी भी प्राधिकरण के लेखों में से हो रही है । परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि यह वाहन किस अधिकारी के पास है और इसका व्यय प्राधिकरण पर क्यों हैं । इसकी लॉग बुक भी लेखा परीक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई । हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार उन अधिकारियों जिन्हें सरकारी वाहन का उपयोग दिया गया है से किलोमीटर की निर्धारित संख्या के आधार पर रू0100/- 150/-रू0 प्रतिमास की दर से बसूली करनी है । अत: उपयोग करने वाले अधिकारी ने इस वाहन का कोई भी पैसा प्राधिकरण में जमा नहीं करवाया है जो तुरन्त करवाया जाए ।

(च) वाउचर संख्या 23 दिनांक 19.6.89 राशि रू0 8172/-रू

मैसर्ज जेनेवा आउटो रिपेयर शाप चण्डीगढ़ को वाहन एच0पी0 एस-948 की मुरम्मत के 8172/-रू0 का भुगतान किया गया है । इसकी मुरम्मत की किन्हीं मुरम्मत कर्ताओं से दर निविदाएं इत्यादि प्राप्त नहीं की गई है जिससे मुरम्मत के व्यय का तुलनात्मक अध्ययन हो सके । मुरम्मत की सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई है । इसके अतिरिक्त इस वाहन की रखरखाव लॉग बुक में भी मुरम्मत के व्यय की प्रविष्टि नहीं की गई है जिसका कारण स्पष्ट किया जाए । वाहन के जो पुर्जे इत्यादि बदले गए हैं और जिनकी कुछ कबाड़ कीमत भी है की भी प्राप्ति प्रविष्टियां नहीं की गई है । अत: वाहन अधिकारी सुनिश्चित करें कि इनमें जो भी पुर्जे/ हिस्से उपयोग के योग्य हैं या जिनकी कबाड़ कीमत है उनकी प्रविष्टि अभिलेख में करवाएं या सम्बन्धित चालक से बसूली करें जिसने ये पुर्जे कार्यशाला से नहीं लिये हैं ।

13. विविध आपत्तियां:-

(क) वाउचर संख्या 39 दिनांक 30.6.89 राशि रू01618.80 मस्ट्रोल न0 175, मास 5/89 (अंकन नं0 1)

श्री जगदीश चन्द मीटर निरीक्षक 26.5.89 को अपने कार्य पर अनुपस्थित था परन्तु इस दिन की दिहाड़ी का उसे 26.20 रू0 का भुगतान कर दिया गया है जो गलत है । वास्तव में वह 17.5.89, 19.5.89, 22.5.89 और 25.5.89 को भी अनुपस्थित था अत: वह 26.5.89 के रविवारीय अवकाश के लिये पात्र नहीं था 26.20 रू0 की उससे कटौती की जाए ।

(ख) वाउचर संख्या 39 दिनांक 30.6.89:-

मैसर्ज स्टाइलको लोह भण्डार, शिमला को उनके नकद पर्ची 10398 दिनांक 26.1.89 के अन्तर्गत 28.55रू0 का भुगतान किया गया है । परन्तु नकद पर्ची में यह स्पष्ट नहीं है कि किस वस्तु का क्रय किया गया है और न ही इसकी भण्डारण रजिस्टर में प्रविष्टि है और न ही प्रयोग का वर्णन है । अत: या तो उपरोक्त सभी औपचारिकताएं बताई जाएं या दोषी से 28.55 रू0 की प्रतिपूर्ति की जाए ।

(अंकन सं0)

173

(ग) वाउचर संख्या 25 –ए दिनांक 21.6.89 राशि 1210/–रु0

अधिशासी अभियन्ता श्री एस0डी0 भण्डारी के आवास पर लगे दूरभाष (संख्या 3048) का अवधि 16.3.89 से xxxx 15.5.89 तक का भुगतान 1210/–रु0 का किया गया है। इस अवधि में इस फोन पर 1550 स्थानीय काल की गई है जिनमें से 285 काल निशुल्क हैं शेष 1265 का भुगतान किया गया जिसकी राशि 1012/– रु0 बनती है। अधिकारी के आवास पर लगे दूरभाष पर इन स्थानीय दूरभाषों की संख्या अत्याधिक हैं और सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम काल से कहीं बहुत अधिक हैं। अत: अधिक काल्ज़ की भण्डारी से प्राप्ति की जाए या सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति xxx प्राप्त की जाए और अनुपालना अगले लेखा परीक्षण में दिखाई जाए।

(घ) वाउचर संख्या 39 दिनांक 30.6.89.

श्री डी0 एन0 कपूर, सहायक अभियन्ता को दिये गए अग्रदाय लेखे में 50/–रु0 श्री सुदर्शन कुमार सहायक को टिकटें खरीदने हेतु दिये गए बताए हैं परन्तु टिकटों की खरीद और आगे उपयोग का लेखा नहीं बताया गया। यह अगले लेखा परीक्षण में बताया जाए अन्यथा 50/–रु0 की सेवों में प्रतिपूर्ति की जाए।

(ङ) वाउचर संख्या 41 दिनांक 30.6.89 राशि रु027000/–:

श्री बी0डी0 शर्मा, सहायक अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत किये गए अग्रदाय लेखों में उन्होंने 5000/–रु0 की दस्ती रसीद प्रस्तुत की है जिसमें उन्होंने नगरनिगम शिमला को रसीद संख्या 8639 दिनांक 2.6.89 द्वारा भुगतान किया है। यह भुगतान पानी का मीटर लगाने हेतु हुआ है। यह मीटर xxx प्राधिकरण के किस क्षेत्र में लगाया गया है और क्या इसके द्वारा प्राप्त जल सर्वथा विभाग द्वारा ही प्रयोग किया जा रहा है या यहां से ठेकेदारों को पानी दिया जा रहा है। यदि ठेकेदारों को यहां से पानी दिया जा रहा है तो क्या इसकी उनके बिलों से कटौती की जा रही है या नहीं क्योंकि नगर निगम पानी की खपत के आधार पर बिल दे रहा होगा या कभी एक मुश्त प्रस्तुत करेगा यह सम्पूर्ण सूचना लेखा-परीक्षा में उपलब्ध नहीं की गई। अत: इसका पूरा लेखा अगले लेखा परीक्षण में बताया जाए।

14. चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति:-

(क) चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति बिलों की अदायगी में कुछ ऐसी दवाईयों की भी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति कर दी गई है जो देय नहीं हैं। अत: नीचे दर्शाए गए अधिकारियों/कर्मचारियों से निर्दिष्ट राशि प्राप्त की जाए और अगले लेखा परीक्षण में अनुपालना दिखाई जाए :-

अधिकारी/कर्मचारी का नाम	वाउचर संख्या एवं तिथि	औषधि का नाम	मूल्य	व्यक्तिगत राशि।
xxxxxxxx श्री श्याम लाल, सहायक	58 दिनांक 9.6.89.	(मुफ्तीकम्प्लर) यह औषधि नहीं है।	26.00	241/–
श्री केसर सिंह सहायक	"	वीरमिन 6टेबलेट	6.90	66.60

—179

श्री दीवान चन्द गुप्ता	58 दिनांक 9.6.89	न्यूओगाडीन-300 मि०ली०	27.90	42/-
श्री तुलसीरामठाकुर	"	अल्सरेक्स स्वण सूतशखर	19.75 82.50	183/-
श्री राजिन्द्रपाल सहायक	"	औस्टोकैल्शियम	3.00	42/-
श्री कुलवीर सिंह सहायक अभियन्ता	63 दिनांक 9.6.89	विटाजाईम वीकाडेक्स ड्राप्स	8.50 4.85	23/-
	"	औस्टोकैल्शियम	7.50	324/-
श्री बी०डी०कंवर कनिष्ठ अभियन्ता	"	ओरोग्रिम-10मात्रा (डाक्टर द्वारा नहीं लिखी गई थी)	14.50	173/-
श्री आर०आर० चौहान सहायक	88दिनांक 24.6.89	डेक्सारेन्जर सिरप	25.75	152/-
श्री एम०सी० कटोच	151दिनांक 26.6.89	ऐस्कार्फिलोल मात्राएं जो स्लोरिक हैं	29.85	39.43
श्री सी० आर तनवार	"	वीकाडेक्सामीन -यथोपरि- -यथोपरि-	13.44 13.50 13.44	
श्री बी०एस० वर्मा कनिष्ठ अभियन्ता	"	सैप्टीलीन	2.60	
श्री विक्रम सिंह कनिष्ठ अभियन्ता	"	दान्त एक्सरे के रु020/-	12.00	
श्री श्याम लाल सहायक	127 दिनांक 23.6.89	रोजीलीन-210 कैप्सूल। चिकित्सक ने केवल 7 दिन के 21 कैप्सूल लिखे थे	73.70	119/-
श्री केसर सिंह	" "	विनाजाईम	22.65	132.35
श्री जे०रामसिंहवर्मा	"	कैपा डेक्स कैप०	17.40 17.40	48.00
श्री आर० के० शर्मा अनुभाग अधिकारी	183 दिनांक 24.3.90	मधुराष्ट आदि क्वाथ	17.00	118.00
श्री रत्न चन्द स्टैनो	" "	प्रोटोबाईन	28.00	35.00
श्री श्याम लाल शर्मा	" "	कार्डोना मास्टर	5.00	89.00

....33..

SOM RAJ KAPOOR
ASSISTANT CONTROLLER AUDIT
IP01 14699 30-04-2030

1/15

श्री मोहर सिंह वर्मा	183 दिनांक 24.3.90	शिव में योग का अन्तर	15.00	272.00
" " " "	"	आयुर्वेद पद्धति में बूटियां और योग अन्तर	21.60 21.—	213/-
श्री आर०सी० वर्मा, स्नातक अभियन्ता	207 दिनांक 30.3.90	कायूल कैमि०	5.00	40.00
श्री वी०सी० देशी स्नातक अभियन्ता	" "	बृहद रसायन	24.00	76.00
" " "	" "	कोपाइक्स कैमि०	6.00	82.00
श्री सुभाष शर्मा कनिष्ठ अभियन्ता	209 दिनांक 30.3.90	आयुर्वेद चिकित्सा में अर्ल्ट कैमिकल की उपलब्धि	21.00	92/-
श्री देश राज गर्ग स्नातक	" "	प्रोटोबाईन	26/-	241/-
xxxxxxxxxxxxxxxxxx				
श्री जगदीश चन्द शर्मा	" "	गोली-बी०	7/-	71/-
श्री लीला शाकिया	" "	न्यूओगनोबिल दोबारा खरीद की गई जबकि किसी का बाद थी।	84/-	179/-
श्री एन० एस० बिष्ट, अधीक्षक	6 दिनांक 1.3.90	शिल्प गुग्गुल तथा कफीरबन्ध रस	56/-	282/-
श्री शशि भूषण भड़वाल स्नातक ठेकेदार	41 दिनांक 6.3.90	इल्कोलिक्स तथा सेप्टिरियम का अनुपलब्धि योग्य व्यय	70/-	121/-
श्री मेहर सिंह वर्मा स्नातक	42 दिनांक 6.3.90	बूटियां आयुर्वेद चिकित्सा के साथ	22/-	294/-
श्री भूपेन्द्र ठाकुर ड्रेसर	" "	[illegible]	4/-	14/-
श्री आर० सी० जिन्दल स्नातक अभियन्ता	" "	बसन्त कुसुमाकर रस सिरप टैक्सोली	101/-	186/-
" " "	" "	धात्री रसायन तथा बसन्त कुसुमाकर रस	211/-	23[illegible]/-
श्री एन० एस० बिष्ट x	69 दिनांक 12.3.90	[illegible] रस	37/-	10[illegible]/-

श्री भूपेन्द्र कुमार वर्मा	69 दिनांक 12.3.90.	क्रमायोग, शिलाजीत रविटाल, ट्रिप्कोल	225/-	230/-
श्री शशि भूषण गड़वाल सहायक प्रारूपकार	151 दिनांक 20.3.90	सैनिटेरियम में उनकी पत्नि की परिचर्या में सरकारी अस्पताल की तुलना में अधिक व्यय ।	1659/-	3310/-

(ख) वाउचर संख्या 158 दिनांक 29.6.89 राशि 692/- रू0 चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति श्री एस0 के मल्होत्रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य अभियन्ता ।

श्री एस0 के0 मल्होत्रा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य अभियन्ता को 584/-रू0 की चिकित्सा व्यय बिलों की प्रतिपूर्ति की गई है । चिकित्सा बिल उनकी स्वंय की तथा उनकी पत्नी की परिचर्या के हैं । उनकी पत्नी की परिचर्या 21.10.88 को समाप्त हो गई थी और उनका प्रतिपूर्ति का बिल कार्यालय में 5.6.89 को प्राप्त हुआ । यही स्थिति उनके स्वंय के 159/-रू0 के बिल की है । उनकी परिचर्या 17.8.88 को समाप्त हो गई थी और उनका बिल भी कार्यालय में प्रतिपूर्ति हेतु 5.6.89 को प्राप्त हुआ । नियमानुसार चिकित्सा व्यय बिल प्रतिपूर्ति हेतु 3 मास के अन्दर प्रस्तुत होने चाहिए अन्यथा ये कालातीत माने जाते हैं । उक्त अधिकारी ने बिल 3 मास के पश्चात भी काफी समय बाद प्रस्तुत किये हैं और सक्षम प्राधिकारी की अनौ आहरण की स्वीकृति भी नहीं है । अत: 584/-रू0 के भुगतान की प्रतिपूर्ति प्राधिकरण निधि को की जाए । उपरोक्त के अतिरिक्त उन्हें निम्नलिखित अप्रतिपूर्ति योग्य दवाईयों का भी भुगतान हुआ है :-

जिस दिन दवाई लिखि गई ।	दवाई का नाम	मूल्य	विवरण
2.7.88	20 मात्रा यूनीजाईम	7.80	चिकित्सक द्वारा यूनीरेजाईम लिखी गई थी ।
"	10 मि0लि0 क्लीजराईन	9.50	चिकित्सक द्वारा नहीं लिखि गई थी ।
4.8.88	20 मात्रा यूनीजाईम	8.00	चिकित्सक द्वारा यूनीरेजाईम लिखि गई थी ।
"	10 मि0लि0 क्लीजराईन	9.50	
"	20 मात्रा एन्टोलिक्स 8.00	8.00	
5.9.88	30 मात्रा यूनीजाईम	12.50	चिकित्सक द्वारा यूनीरेजाईम लिखि गई थी ।
27.9.88	10 मि0लि0 क्लीजराईन	9.40	चिकित्सक द्वारा नहीं लिखी गई थी ।
6.10.88	20 मात्रा एन्टोलिक्स	8.00	प्रतिपूर्ति योग्य दवा नहीं है,
		72.70	

15. मकान किराया भत्ता :-

कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता निश्चित दरों से अधिक दिया गया है । वास्तव में मकान किराया भत्ता मूलवेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ता पर जोड़कर दिया गया है जो केवल मूल वेतन पर ही देय है । जिनको अधिक भुगतान हुआ उनके विवरण नीचे दिये हैं और अधिक भुगतान की वसूली उनसे शीघ्र की जाए:-

श्री नन्द लाल बिष्ट

इनका मार्च, 89 को मूल वेतन 2250/-रू0 था और उन्हें मकान किराया भत्ता 400/-रू0 प्रतिमास देय था जबकि उन्हें 3/89 से 5/89 तक 500/-रू0 प्रतिमास की दर से भुगतान हुआ अत: 300/-रू0 की उनसे प्राप्ति की जाए ।

श्री गंगा राम वर्मा

इनका जून, 89 को मूल वेतन 1720/-रू0 था जिसपर उन्हें 350/-रू0 प्रतिमास मकान किराया भत्ता देय था परन्तु 400/-रू0 प्रतिमास की दर से भुगतान हुआ है । उनका वेतन 1.11.90 को 1840/-रू0 हुआ है । अत: उन्हें 6/89 से 10/90 तक 50/-रू0 प्रतिमास की दर से अधिक भुगतान हुआ है अर्थात 850/-रू0 के अधिक भुगतान की उनसे वसूली की जाए ।

श्री राजिन्द्रलाल सहायक

इनका मार्च, 89 को मूल वेतन 1760/-रू0 था उन्हें 500/-रू0 प्रतिमास की दर से भुगतान हुआ है । अत: 1800/-रू0 की उनसे वसूली की जाए ।

श्री विक्रम सिंह, कनिष्ठ अभियन्ता

श्री विक्रम सिंह का 8/89 से 6/90 तक मूलवेतन 2050/-रू0 था और वे मकान किराया भत्ते के 400/-रू0 प्रतिमास के पात्र थे परन्तु उन्हें 500/-रू0 प्रतिमास की दर से भुगतान हुआ है । अत: इस अवधि की 1100/-रू0 की उनसे वसूली की जाए।

श्री वी0एस0 वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता का मूलवेतन जनवरी, 90 से जून, 90 तक 2100/-रू0 प्रतिमास था और उनकी मकान किराया भत्ता की ग्राह्यता 400/-रू0 प्रतिमास था जबकि उन्हें भुगतान प्रति 500/-रू0 प्रतिमास की दर से हुआ है । जून 90 के 100/-रू0 के अधिक भुगतान की कटौती यद्यपि वेतन बिल में कर दी गई है परन्तु जनवरी, 90 से मई, 90 के 500/-रू0 के भुगतान की कटौती नहीं की गई । अत: श्री वर्मा से 500/-रू0 की कटौती की जाए तथा उस कर्मचारी/अधिकारी से की जाए जिन्होंने जानकर कटौती छोड़ दी ।

....36...

178

श्री नरिन्द्र कुमार पाण्डेय, मुख्य मण्डल प्रबन्धकार

श्री पाण्डेय को 1194/-रु0 का मकान किराया भत्ता का अधिक भुगतान हुआ है । 3.7.89 से 31.12.89 तक उनका मूल वेतन 2150/-रु0 था और 1.1.90 से 30.6.90 तक 2250/-रु0 वह 400/-रु0 प्रतिमास मकान किराया भत्ते के पात्र थे परन्तु उन्हें 500/-रु0 की दर से भुगतान किया गया। अतः 1194/-रु0 के अधिक भुगतान की वसूली की जाए ।

श्री केशवानन्द , मुख्य मण्डल प्रबन्धकार

श्री केशवानन्द शर्मा का 1.1.89 से 31.12.89 तक मूल वेतन रु02150/- तथा 1.1.90 से 30.6.90 तक 2200/-रु0 प्रतिमास था तथा वह मकान किराया भत्ता के 400/-रु0 प्रतिमास पाने के पात्र थे परन्तु 1.1.89 से 30.6.90 तक और मकान किराया भत्ता की उनकी ग्राह्यता 350/-रु0 प्रतिमास थी परन्तु उन्हें 400/-रु0 प्रतिमास की दर से 3/89 से 12/89 तक भुगतान हुआ है । अतः 500/-रु0 अधिक भुगतान की उनसे वसूली की जाए ।

बस्ता भत्ता :-

श्री मुक्तिनाथ तथा कर्म सिंह पटवारी शिमला विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर हैं और प्रतिनियुक्ति भत्ते के साथ 15/-रु0 प्रतिमास बस्ता भत्ता भी ले रहे हैं । हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार उन्हें एक ही भत्ता मिल सकता है । वास्तव में उन्हें उनके मूल विभाग में कार्यालय से बाहर कार्य करने के लिए लेखन सामग्री खरीदने के लिए 15/-रु0 (पन्द्रह) प्रतिमास बस्ता भत्ता मिलता है । परन्तु शिमला विकास प्राधिकरण में उन्हें सभी प्रकार की लेखन सामग्री कार्यालय से ही मिलती है अतः इसके एवज में यह भत्ता देना अनुचित है जो तुरन्त बन्द किया जाए और अधिक भुगतान की वसूली भी की जाए ।

मकान किराया भत्ता:वाउचर संख्या 106 दिनांक 16.6.89 राशि रु019479/-

कुमारी लीला शाण्डिल्य को मास 4/88 से 5/89 तक की अवधि तक का मकान किराया भत्ता का बकाया दिया गया है । भत्ते की गणना प्रतिनियुक्ति भत्ते पर भी की गई है जो अनुचित है । इसके फलस्वरूप उन्हें 700/-रु0 का अधिक भुगतान हुआ है वसूली उनसे अब वसूली की जाए ।

श्री दीवान चन्द गुप्ता

श्री दिवान चन्द गुप्ता को जनवरी, 89 से 28.5.89 तक की अवधि के मंहगाई भत्ते का बकाया 289/-रु0 दिया गया है परन्तु संशोधित वेतनमान में उनका वेतन निर्दिष्ट नहीं किया गया है और वेतनमानों का संशोधन जनवरी, 1986 से हुआ है । अतः उनका वेतन नए वेतनमानों में बताया जाए और 289/-रु0 के बकाया भुगतान की गणना भी बताई जाए ।

16. (क) अवकाश यात्रा सुविधा :-

वाउचर संख्या 37 दिनांक 6.6.89 राशि 434/-रु0 ...37..

श्री टी०एस० शर्मा, मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।

श्री शर्मा को अवकाश यात्रा सुविधा का आठ टिकटों का 7970/-रु० का भुगतान किया गया है जिसमें 7536/-रु० अग्रिम रूप में और 434/-रु० इस बिल द्वारा दिये गए । मुख्य अभियन्ता शिमला से हैदराबाद और हैदराबाद से दिल्ली वायुयान से गए और दिल्ली से शिमला टैक्सी से आए । परन्तु वायुयान यात्रा टिकट बिल के साथ संलग्न नहीं है जो अब प्रस्तुत किये जाएं । इसके अतिरिक्त उन्हें 123/-रु० आरक्षण तथा दूरभाष व्यय की प्रतिपूर्ति की गई जिसके बिल भी संलग्न नहीं है । वास्तव में 123/-रु० का दावा मैसर्ज हिमालियन ट्रैवल्ज़ ने अपने बिल दिनांक 11.5.89 को पेश किया था जिसके साथ कोई बिल संलग्न नहीं है । इसकी प्रतिपूर्ति ट्रैवल एजेंसी के बिल के आधार पर करना प्रमाण रहित भुगतान है जिसमें न तो एजेंसी ने आरक्षण का बिल संलग्न किया है और न ही दूरभाष का बिल ही है । अत: इन प्रमाणों के बिना 123/-रु० का भुगतान भी शर्मा को लेखा परीक्षा में उचित नहीं ठहराया जा सकता जिसकी वसूली उनसे की जाए तथा वायुयान के टिकट मूल रूप में बिल के साथ संलग्न किये जाएं । इसके अतिरिक्त यात्रा भत्ता बिल के प्रमाण पत्र भी श्री शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है वे भी हस्ताक्षरित करवाए जाएं ।

(घ) वाउचर संख्या 182 दिनांक 24.3.90 राशि 1760/-रु० :

श्री राजिन्द्र कुमार सहायक को खण्ड वर्ष 1986-89 के शिमला से श्री वैष्णोदेवी की यात्रा के (अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत) 1760/-रु० का अग्रिम भुगतान किया गया । परन्तु उनका बिल 616/-रु० का बना । नियमानुसार उन्हें अनुमानित किराए के 80% तक का अग्रिम देय था । इसके अतिरिक्त श्री राजिन्द्र की वापसी यात्रा 31.1.90 को समाप्त हुई थी और उन्हें अपना बिल एक मास के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए था और शेष 1144/-रु० भी तुरन्त जमा करवाने चाहिए थे जो उन्होंने दिनांक 17.3.90 को जमा करवाए (रोकड़ पृष्ठ 171 एवं रसीद संख्या 19234) इनसे दण्ड ब्याज लिया जाए तथा भविष्य में भी सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रकार के मामलों में सम्बन्धित दोषियों से दण्ड ब्याज वसूल हो । श्री राजिन्द्र-पाल की सेवा पंजिका जो मूल विभाग में है, उनमें प्रविष्टि करवाई जाए तथा इसका प्रमाण पत्र प्राप्त करके अगले लेखा परीक्षण में प्रस्तुत किया जाए ।

17. यात्रा भत्ता :-

(क) वाउचर संख्या 38 दिनांक 6.6.89 राशि 530/-रु०

श्री आई०सी० शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता ने दिनांक 7.6.88 को शिमला से जालन्धर तक की यात्रा की । उन्हें राज्य से बाहर यात्रा करने की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं है । श्री शर्मा ने सायं 3 बजे डीलक्स बस से यात्रा की गई बताई है और 40/-रु० शिमला से चण्डीगढ़ का किराया यात्रा भत्ता बिल में लिया है परन्तु उस समय 3 बजे शिमला से कोई डीलक्स बस चण्डीगढ़ के लिए नहीं जाता था । शिमला से उक्त स्थान का साधारण किराया 21.50 रु० था अत: श्री शर्मा से गलत दावे के 18.50 रु० वसूले जाएँ या डीलक्स बस द्वारा उक्त यात्रा की प्रामाणिकता सिद्ध की जाए ।

18°

(ख) वाउचर संख्या 227 दिनांक 31.3.90 राशि 165/-रु0

श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता 165/-रु0 का भुगतान किया गया और उन्होंने राज्य से बाहर परिवार, कुल्लू तक की यात्रा की है। परन्तु सक्षम प्राधिकारी की उन द्वारा राज्य से बाहर यात्रा करने की स्वीकृति नहीं है जो प्राप्त करके दिखाई जाए।

(ग) वाउचर संख्या 241 दिनांक 31.3.90 राशि 447/-रु0

श्री बी0एस0 वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता को स्थानान्तरण यात्रा बिल का 447 रु0 का भुगतान 900/-रु0 के अग्रिम के समायोजन के साथ किया गया है। उन्होंने बिल में अपनी यात्रा दधोल (बिलासपुर) से शिमला तक स्कूटर द्वारा बताई है परन्तु यात्रा की तिथि नहीं बताई है और इसका उन्हें 104/- रु0 का भुगतान किया है। परन्तु उन्होंने अपनी तथा अपने परिवार की यात्रा दिनांक 2.7.89 को टैक्सी द्वारा की है जो टैक्सी रसीद इन शब्दों में प्रमाणित करती है "अपनी तथा family (परिवार) को लाने के लिए 800/-रु0 वसूल पाए"। अतः स्पष्ट है कि उन्हें स्कूटर द्वारा यात्रा की अलग अदायगी उचित नहीं थी। श्री वर्मा से 104/-रु0 वसूल करके अगले लेखा परीक्षण में दिखाए जाएं।

श्री वर्मा अपना घरेलू सामान ट्रक द्वारा लाए हैं जिसके 293/-रु0 भाड़े के रूप में दिये हैं जिसका भार उन्होंने 35 क्विंटल बताया है जबकि उनकी ग्राह्यता 20 क्विंटल ~~xxxxxx~~ की है। इसमें भी 150/-रु0 का उन्हें अधिक भुगतान हुआ है इसकी भी उनसे वसूली की जाए।

श्री वर्मा ने 1.5.89, 2.7.89 और तीसरी बार स्कूटर से (तिथि नहीं दर्शायी है) यात्रा की है परन्तु इसका अवकाश लेखा प्रस्तुत नहीं किया। यह सुनिश्चित किया जाए कि वास्तव में इन दिनों वह अवकाश पर थे।

(घ) वाउचर संख्या 238 दिनांक 31.3.90

राशि 105/-रु0

श्री [illegible] सिंह टी0 डी0 एम0 को एक सौ पांच (105/-रु0 का) भुगतान किया गया। श्री [illegible] ने 350/-रु0 अग्रिम राशि का समायोजन का भुगतान किया गया और 30.4.89 को स्थानान्तरण के पश्चात 1.5.89 को प्राधिकारी में कार्यभार ग्रहण किया और यात्रा की। यह अपना परिवार सहित कुमारसैन से शिमला तक की यात्रा की। उन्होंने अपने सामान को 6 मास के भीतर ला सकते थे। नियमानुसार वह अपने सामान को घरेलू सामान 30.3.90 को लाए हैं। अतः दिनांक 30.3.90 का उनका 150/-रु0 (सामान भाड़ा) का दावा कालातीत है जो उनको देय नहीं था। अतः 150/-रु0 की वसूली की जाए व अनुपालना आगामी लेखा-परीक्षा पर दर्शाई जाए।

(ङ) वाउचर संख्या 32 दिनांक 5.3.90 राशि 450/-रु0

श्री रतन चन्द, [illegible] को भत्ता [illegible] और [illegible] यात्रा भाड़े के 450/-रु0 का भुगतान किया गया है। श्री रतनचन्द ने उचित तौर [illegible] यात्रा राज्य से बाहर की है जिसकी [illegible] निर्णय [illegible] तथा [illegible] किया है और

181

स्वीकृति दिखाई जाए । गाड़ी की लॉग भी लेखा परीक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जो अगले लेखा परीक्षण में प्रस्तुत की जाए । स्वीकृति प्रस्तुत न करने की स्थिति में 450/-रु० की अदायगी का उत्तरदायित्व निश्चित किया जाए ।

(च) वाउचर संख्या 243 दिनांक 31.3.90 राशि 3091रु०

श्री विक्रम सिंह , कनिष्ठ अभियन्ता को जून 1989 से दिसम्बर 1989 तक शिमला से अश्विनी खण्ड तथा वाकिन्सी से यात्रा भत्ते के 3091/-रु० का भुगतान किया गया है । इसके अतिरिक्त मार्च 1990 तक श्री विक्रम सिंह को 4876/-रु० यात्रा भत्ता के रूप में भुगतान किया गया है । श्री सिंह मास में 20 से 25 दिन तक भी उपरोक्त स्थान के दौरे में रहे हैं । उनका कार्य स्थान अश्विनी खड ही है जहाँ से शिमला को पानी लाने की योजना का कार्य चल रहा है । श्री सिंह के मुख्यालय अश्विनी खड में न रख कर और शिमला के भत्ते देकर प्राधिकरण ने 4876/-रु० का भुगतान करके फजूलखर्ची की है । श्री विक्रम सिंह के मुख्यालय कार्यस्थान पर निश्चित किये जायें या शिमला में मुख्यालय रखे जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए ।

(छ) वाउचर संख्या 239 दिनांक 31.3.90 राशि 460/-रु०

श्री आई०सी० शर्मा को मास 11/89 के यात्रा भत्ते के 460/-रु० का भुगतान किया गया है जिसमें उन्हें दिनांक 21.11.89 और 10.11.89 को दैनिक भत्ते के 5/-रु० प्रतिदिन की दर से अधिक भुगतान हुआ है । अतः उनसे 10/-रु० की वसूली की जाए । हिमाचल से बाहर यात्रा करने की सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी नहीं है जो प्राप्त की जाए और अनुपालना अगले लेखा परीक्षण में बताई जाए ।

(ज) वाउचर संख्या 240 दिनांक 31.3.90 राशि 1764/-रु०

श्री के० एम० खन्ना , कनिष्ठ अभियन्ता को 5/89 से 9/89 तक की अवधि के यात्रा भत्ता भुगतान में 49/-रु० का अधिक भुगतान हुआ है । अधिक भुगतान का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :-

5/89	27.00	दिनांक 4.5.89, 26.5.89 और 27.5.89 की तिथियों का यात्रा भत्ते की गणना अधिक की गई है ।
6/89	7.00	दिनांक 5.6.89 और 6.6.89 को दैनिक भत्ते की गणना अधिक की गई है ।
7/89	2.00	दिनांक 4.7.89 को दैनिक भत्ते की गणना अधिक की गई है ।
9/89	13.00	दिनांक 7.9.89 और 17.9.89 को दैनिक भत्ते की गणना अधिक की गई है ।
	49.00	

अतः 49/-रु० की वसूली की जाए तथा राज्य से बाहर यात्रा की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करके अनुपालना अगले लेखा परीक्षण में दिखाई जाए

...40...

182

18. दैनिकी पर नियुक्त कर्मचारियों को अधिक भुगतान ।

दैनिकी पर लगाए गए लिपिकों तथा अन्य कर्मचारियों को किए गए भुगतानों में जो अनियमितताएं पाई गई उनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है अतः अधिक राशि की वसूली की जाए तथा अनुपालना अगले लेखा परीक्षा में दिखाई जाए ।

वाउचर संख्या 33 दिनांक 5.3.90 राशि ***** 11353/-रु0
अधिक भुगतान 262/-रु0

फरवरी, 1990 के वेतन बिल में निम्नलिखित दिहाड़ीदार पर नियुक्त कर्मचारियों को 262/-रु0 का अधिक भुगतान हुआ है । उपस्थिति रजिस्टर में कम दिहाड़ियां और कार्यालय में बनाए गए बिल में दिहाड़ियां बढ़ा दी गई हैं और कार्यालय अध्यक्ष ने बिल सत्यापित किया है ।

नाम	कार्य दिवस	भुगतान	अधिक रु0 पै0
श्रीमती अमृता शर्मा	23	25	102.00
श्रीमति निर्मला	22	23	40.00
श्री अमीचन्द	23	26	120.00

वाउचर संख्या 5 दिनांक 1.6.89 राशि 3731/-रु0

(1) उपस्थिति रजिस्टर में निरीक्षण अधिकारी ने श्री वीरेन्द्र शर्मा, जे0ए0डी0 को 12.5.89 बिना वेतन (w.o.Pay) की टिप्पणी दी है । अतः उन्हें 12.5.89 और 14.5.89 (रविवार) का वेतन देय नहीं था । उन्हें 100/-रु0 का अधिक भुगतान हुआ है जिसकी अब वसूली की जाए ।

(2) श्री विमल कुमार टी0डी0ए0 का 30.5.89 को बिना वेतन ( ) का निरीक्षण अधिकारी का नोट है अतः उन्हें 30.5.89 तथा 4.6.89 (रविवार) का वेतन/दिहाड़ी देय नहीं था परन्तु बिल में इसकी कोई कटौती नहीं की गई है । उनसे 84/-रु0 के अधिक भुगतान की वसूली की जाए ।

19. विविध भुगतान

(क) वाउचर संख्या 31 दिनांक 5.6.89 राशि 402/-रु0

402/-रु0 का जलपान के लिये श्री आर0 के0 गंडोतरा, कनिष्ठ अभियन्ता के माध्यम से व्यय हुआ है । इसमें 22.4.89 का दोपहर एवं रात का भोजन व्यय भी शामिल है । अतिथियों का विवरण नहीं है न ही अतिथि घोषित - आदेश संख्या वित्त-1-सी0(14)1/83 दिनांक 10.5.89 के अनुसार इस प्रकार के व्ययों पर रोक लगा रखी है । अतः इस व्यय की प्रतिपूर्ति की जाए या सक्षम प्राधिकारी को नियम/आदेशों की ढील देते हुए स्वीकृति प्राप्त की जाए ।

(ख) वाउचर संख्या 30 दिनांक 5.6.89 राशि 226/-रु0 मैसर्स जोशी [illegible] शिमला को 300 [illegible] का [illegible] 226/-रु0 दिये हैं । ये बिल प्राधिकारी के [illegible] लेखा परीक्षा को न तो दिखाया गया न ही नकद का बिल के साथ लगे हैं । इन वस्तुओं की स्टाक रजिस्टर में न प्रविष्टि है न प्रयोग

....41...

183

तथा न शेष का [illegible]ता है । नियमानुसार इस तरह का व्यय प्राधिकरण से नहीं किया जा सकता है और यह व्यक्तिगत व्यय है जिसकी प्रतिपूर्ति प्राधिकरण निधि को की जाए ।

(ग)

वाउचर संख्या 11 दिनांक 1. 3. 90 राशि 7501/-रु0

श्री एस0 एन0 निष्पक्षी तहसीलदार को एक दिन 14. 2. 90 का वेतन 116/-रु0 का अधिक भुगतान हुआ है श्री निष्पक्षी ने 15. 2. 90 को शिमला विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण किया । जिला राजस्व अधिकारी सिरमौर, नाहन से अन्तिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र संख्या 438-एस0आर0 एन0-एस0 के0 (2-सी)/89 दिनांक 13. 2. 90 के अनुसार श्री निष्पक्षी को 14. 2. 90 तक का भुगतान उसी कार्यालय ने कर दिया गया था परन्तु प्राधिकरण ने भी 14. 2. 90 से 28. 2. 90 का वेतन भुगतान उक्त अधिकारी को कर दिया है । अतः मूलवेतन, मंहगाई भत्ते तथा राजधानी भत्ते के 116/-रु0 का अधिक भुगतान उनके वेतन में से काट लिया जाए तथा अनुपालना अगले लेखा परीक्षण में बताई जाए ।

(घ)

वाउचर संख्या 34 दिनांक 5. 3. 90 राशि 94/-रु0

श्री एन0 के0 [illegible] कनिष्ठ अभियन्ता को चण्डीगढ़ यात्रा का 94/-रु0 यात्रा भत्ता दिया गया है । वह कार एच0पी0एल-3228 को चण्डीगढ़ में मुरम्मत करवाने गए थे । उन्हें राज्य से बाहर यात्रा करने की स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं थी और वाहन की लाग बुक भी लेखा परीक्षा में नहीं दिखाई गई । अतः भुगतान उचित नहीं है ।

(ङ)

वाउचर संख्या 99 दिनांक 29. 3. 90 राशि 290/-रु0

श्री राम चन्द [illegible] को 290/-रु0 गर्म वर्दी तथा ठण्डी वर्दी की सिलाई का भुगतान किया गया है । श्री रामचन्द प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर हैं उनके मूल विभाग से यह पत्र प्राप्त नहीं है कि इन्हें वर्दियाँ कब देय है और अब दी गई वर्दी का प्रविष्टि स्टाक/वर्दी रजिस्टर में कर दी गई है । ये औपचारिकताएं पूरी करके अगले लेखा परीक्षण में अनुपालना दिखाई जाए ।

(च)

वाउचर संख्या 229 दिनांक 31. 3. 90 राशि 2[illegible]31. 50रु0

दिनांक 23. 3. 90 को तथा 30. 3. 90 को 14 क्विंटल कोयला मैसर्स पी0 सी0 [illegible] से खरीदा गया (कम्पनी बिल संख्या 1471 दिनांक 23. 3. 90) 15 मार्च के बाद कोयले की खरीद तथा उपयोग की स्वीकृति नियमों में ढील प्राप्त करके हुए नहीं है । जिन आदेशों के अनुसार 15. 3. 90 के बाद कोयला [illegible] है वे आदेश दिखाए जाएं ।

(छ)

वाउचर संख्या 179 दिनांक 24. 3. 90 राशि 1430/-रु0

मैसर्स एच0 सी0 एल0 लिमिटिड नई दिल्ली [illegible] को [illegible] मशीन टोनर की 1430/-रु0 [illegible] अदायगी की गई । यह टोनर 10. 1. 90 [illegible]

....42.... ...

184

दूसरा 15.3.90 को खरीदे गए हैं जिनकी प्रत्येक की कीमत 715/-रु0 थी । परन्तु प्राप्ति के एक ही टोनर के श्री रामचन्द के हस्ताक्षर हैं जो मशीन में लगाया गया बताया है और दूसरा स्टॉक रजिस्टर में शेष बताया है । ये टोनर एक 10.1.90 को और दूसरा 15.3.90 को खरीदे गए बताये हैं परन्तु 15.3.90 को खरीदे गए टोनर की प्राप्ति के किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं । फोटोस्टेट मशीन 12/89 में खरीदी गई थी उसके साथ भी एक टोनर लगा हुआ था उससे दिनांक 22.2.90 तक 4583 (8534-3951) प्रतियाँ ही निकली हैं जो बहुत कम हैं। एक टोनर से 12000 प्रतियों के लगभग निकलती हैं इसका कृपया स्पष्टीकरण दें कि कम प्रतियाँ क्यों निकली । इसके अतिरिक्त एक टोनर के दुरुपयोग की आशंका है उसकी कीमत 715/-रु0 का निर्धारित (दायित्व) किया जाए ।

20. अधिवक्ता की फीस

वाउचर संख्या 101 दिनांक 16.6.89 राशि 17170.40रु0

श्री कपिल देव सूद, अधिवक्ता, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला को 17170.40 रु0 का 50% अन्तरिम भुगतान फीस के रूप में किया गया है । उन्हें यह फीस शिमला विकास प्राधिकरण के (विरुद्ध) न्यायालय में दायर किये गए दावों के उत्तर तथा प्राधिकरण का पक्ष न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए दी गई है । यह फीस कितने मामलों के लिए दी गई है और उनके साथ कुल कितनी फीस तय की गई है इसका कुछ भी विवरण लेखा परीक्षा को नहीं बताया गया । यद्यपि मुख्य कार्यकारी एवं मुख्य अभियन्ता को हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 1971 के नियम 19.6 के अन्तर्गत मद संख्या 73 के अधीन (अन्तर्गत) वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं तथापि प्रत्येक मामले की व्यक्तिगत सीमा निर्धारित है । जिस नस्ति में वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है वह भी प्रस्तुत नहीं की गई । अतः उपरोक्त भुगतान की वैधता पंजाब विधि मैनुअल जो हिमाचल में भी लागू है के अनुसार सिद्ध की जाए ।

21. जिला एवं सत्र न्यायालय (न्यायालय) शिमला में 86,26,286.58 रु0 की राशि जमा

वाउचर संख्या	136	दिनांक	24.8.89	राशि	157015.32रु0
"	"	138	"	24.2.90	"	4469271.26
"	"	139	"	24.2.90	"	4000000.00रु0

उपरोक्त वाउचरों के अधीन (अग्रिम) की गई राशि जिला एवं सत्र न्यायालय शिमला में जमा करवाई गई है । यह बताया गया कि यह राशि कसुम्पटी परियोजना के लिए अधिग्रहण की गई भूमि के बढ़ाए हुए मुआवजे की श्रीमती कृष्णादेवी एवं 15 अन्यों को भुगतान करने के लिए न्यायालय आदेशानुसार न्यायालय में जमा करवाई है अतः न्यायालय के आदेश, प्रत्येक दावाकर्ता की अधिग्रहण की गई भूमि का विवरण/मात्रा, प्रत्येक की रसीद/भुगतान (प्रमाण) पत्र और शेष राशि, यदि भुगतान न्यून हो, प्राप्त किये जाएं और उन्हें लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए ।

22. पंजाब नेशनल बैंक से 95,00,000/-रु0 का ऋण:

दिनांक 3.10.89 को तथा 8 जमा रसीदों के अधीन पंजाब नेशनल बैंक, माल रोड शिमला से 95,00,000/-रु0 का ऋण लिया गया था । यह ऋण विकास प्राधिकरण

185

ने हिमाचल सरकार के आदेशों अनुसार हि०प्र० सहकारी बैंक में राशि जमा करवाने हेतु सरकार की वित्तीयस्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया था । इसकी स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष शिमला विकास प्राधिकरण की नस्ति नोटिंग पर दिनांक 24. 9. 89 को प्राप्त हुई थी । बैंक ने अपने पत्र संख्या एवं तिथि शून्य, 1989 (पत्राचार नस्ति पृष्ठ-5) जो कार्यालय में 30. 9. 89 को डायरी हुआ, में स्पष्ट किया था कि वे ऋण राशि पर 12% वार्षिक दर से ब्याज दिनांक 3. 10. 89 से प्राप्त करेंगे । बैंक ने यह राशि प्राधिकरण के बचत खाता संख्या 40780 में दिनांक 3. 10. 89 को स्थानान्तरित कर दी । परन्तु ब्याज लेते समय बैंक ने 29. 9. 89 से अर्थात 4 दिन का 12,493/-रु० ब्याज अधिक लिया । यह राशि बैंक से आज तक की तिथि तक ब्याज सहित प्राप्त की जाए ।

23 परख तुलनपत्र :-

(क) कुसुम्पटी परिक्षेत्र में सीमेंट स्टोर के निर्माण व्यय का पूंजीकरण ।

वाउचर संख्या 1 दिनांक 3. 3. 90 राशि 15362/-रु० वर्ष 1989-90 के लेखों में दर्शाया गया कि कुसुम्पटी परिक्षेत्र में 2000 सीमेंट बोरी के रखने का स्टोर 18242.15रु० की लागत से बनाया गया है । यह व्यय स्टाक और स्टोरेज शीर्ष में प्राप्त आय से किया गया है यह प्रारम्भिक व्यय है और इस पर और व्यय होना शेष है। स्टोर एक दीर्घ अवधि सम्पत्ति बन गई है जो कैपीटलाईज होनी चाहिए जो नहीं की गई है । इसकी प्रविष्टि स्थाई सम्पत्ति रजिस्टर में की जाए । इस कार्य के लिए स्टोर से 40 बोरी सीमेंट दिया गया है जिसकी बसूली 72/-रु० प्रति बोरी की दर से की गई है और कार्य वर्क आर्डर पर करवाया गया है । सीमेंट का वितरण मूल्य 75/-रु० जमा 2 प्रतिशत अधिभार था परन्तु सीमेंट समायोजन वाउचर 11 वर्ष 89-90 द्वारा 3060/-रु० ही इस कार्य को डाला गया है । अतः 180/-रु० की और बसूली श्री कालो दास ठेकेदार से की जाए ।

(ख) मुख्यालय लैजर:

शिमला योजना क्षेत्र में पानी वितरण व्यवस्था ।

मुख्य कार्यालय लैजर पृष्ठ-22/ पर शिमला क्षेत्र में जल वितरण व्यवस्था के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के माध्यम से राशि प्राप्त हुई है । वर्ष 1989-90के अन्त में अर्थात 31. 3. 90 को इस शीर्ष के अधीन 1,66,58918.19रु० शेष है परन्तु लैजर में यह नहीं दर्शाया गया है कि आजतक कुल कितनी राशि इस योजना के लिए प्राप्त हुई है और वर्षवार कितना व्यय हुआ है । केवल दिनांक 31. 3. 90 को अंतिम दिखाया गया है । कृपया लैजर में कुल प्राप्त राशि को प्राप्ति और वर्षवार व्यय के आंकड़े दर्शाए जाएं ।

(ग) वर्ष 1989-90 के दायित्व (Liabilities)

मार्च 1990 तक प्राधिकरण के 9,63,302.73रु० के दायित्व के आंकड़े रखे हैं । [illegible] विस्तृत विवरण अर्थात किस दायित्व 1983-84 वर्ष तथा बाद में दायित्व हैं परन्तु इसका विस्तृत विवरण [illegible] का दायित्व [illegible] किस व्यक्ति/ठेकेदार /कर्मचारी का किस किस तिथि में प्राधिकरण [illegible] । अतः इस राशि का वर्षवार नहीं दिखाया गया [illegible] अनुमानित ही प्रावधान [illegible] और [illegible] वर्षवार आंकड़े [illegible] प्रावधान [illegible] जाए ।

....44..

186

(घ) विविध देनदार/लेनदार (Sundry Debitors/creditors)

प्राधिकरण के विविध देनदार और लेनदार हैं जैसा कि तुलन पत्र में 2220906.18 की राशि का प्राधिकरण देनदार है। परन्तु इनकी पूरी पक्षवार विवरणी का प्रत्येक देनदार/की राशि सहित नहीं बनाई जा रही है। लेखा परीक्षा में पहले भी बल दिया जाता रहा है कि इनकी विस्तृत सूचि तैयार की जाए परन्तु इसकी अनुपालना नहीं हुई है। अतः यह अनुरोध है कि देनदारों की सूची तैयार की जाए।

(ङ) परख तुलन पत्र मंडल नं0।

पेड़ों का कटान।

(1) मंडल नं0 एक के परख तुलन पत्र में देखा गया कि 5.12.88 को 1244/-रु0 का पेड़ों के कटान का व्यय किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा में यह नहीं बताया गया कि कुल कितने और कौन सी जाति के वृक्ष काटे गए थे उनका वर्गीकरण क्या था उनसे कितने स्लीपर किस आकार के बने। कुल लकड़ी कितने घन मीटर हुई और इसकी भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टि और इसका उपयोग और ठेकेदार इत्यादि से कीमत वसूली का कुछ भी विवरण नहीं है। इसका पूरा लेखा अगले लेखा परीक्षण में दिखाया जाए।

(2) मंडल नं0 एक ने 8.11.89 को स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया को 83,000/-रु0 स्टील प्राप्त करने हेतु अग्रिम भुगतान किया था। दिनांक 31.3.90 को सेल (SAIL) को मंडल ने 2782/-रु0 का प्राधिकरण का देनदार दिखाया है और 3/90 के समायोजन वाउचर 10 के द्वारा 80218/-रु0 की स्टील की प्राप्ति दिखाई है। परन्तु सेल का न कोई नकद पर्ची है और न ही समायोजन लेखा प्राप्त हुआ है। मंडल में प्राप्त हुई स्टील जिसकी जी0 आर0 20/89 दिनांक 10.11.89 काटी गई है उसमें भी 10.025 मीट्रिक टन की कीमत नहीं लगी है। यह स्टील बरोटीवाला सोलन से प्राप्त हुई है। अतः लेजर पृष्ठ-337 में 80218/-रु0 की कीमत कैसे निर्धारित की है और 80218/-रु0 का समायोजन किस आधार पर किया है इसका अभिलेखीय प्रमाण दिखाया जाए।

(3) 500 बोरी सीमेंट का लेन/देन :

अधिशासी अभियन्ता मंडल नं0 2 ने इन्डेंट संख्या एस0 ओ0/89/112 दिनांक 2.6.89 द्वारा 40392/-रु0 की कीमत का 500 बोरी सीमेंट हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग मंडल नं0 3 शिमला को दिया। अधिशासी अभियन्ता हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग ने 400 बोरी का भुगतान निम्न प्रकार से किया और 100 बोरी वापिस की :-

400 बोरी की कीमत	रु028800.00
2% भण्डार शुल्क	576.00
10% परिवहन के	2938.00
	32314.00 रु0

परन्तु जो 100 बोरी सीमेंट लोक नि0 विभाग ने लौटाई वह प्राधिकरण मंडल दो की अपेक्षा मंडल नं0 एक ने ही प्राप्त कर ली जी0 आर0 एस0 डी0 एस0-1/455

187

दिनांक 10.7.89) और 100 बोरी के ट्रक के भाड़े और चढ़ाई/उतराई के रु0 450/- का भी अनुचित है क्योंकि लोक निर्माण विभाग ने 100 बोरी को उधार माना और उधार ली वस्तु का वापिसी का दायित्व भी उन्हीं का था अतः जिस कर्मचारी/अधिकारी ने रु0450/- का भुगतान किया है उनका इस विषय में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

(च) प्राधिकरण के मंडलों में लेन देन।

प्राधिकरण के दो निर्माण मंडल हैं और दोनों मंडलों में अलग अलग भण्डार (स्टोर) हैं। दोनों मंडलों की बीच में स्टोर का आदान प्रदान नकद भुगतान (Through cash settlement) ही होना चाहिए ताकि ऐसी अनियमिततायें न हो जैसाकि इस रिपोर्ट के पैरा 8 एवं 9 में दिखाया गया है। वास्तव में प्राधिकरण के दोनों मंडलों में भण्डार उपभण्डार रखने का कोई औचित्य नहीं है। केवल एक ही केन्द्रीय भण्डार होना चाहिए ऐसा करने से आदान प्रदान में पाए जाने वाली अनियमिततायें भी नहीं होंगी और व्यय में भी कमी होगी और कम से कम तीन तकनीकी अधिकारी निर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त उपलब्ध होंगे।

24. मध्यम आय वर्ग। व II फ्लैटस का मूल्य निर्धारण।

मध्यम आय वर्ग के 32 फ्लैटस के निर्माण का कार्य मैसर्स कुन्दन लाल हरिराम ठेकेदार को दिया गया था। इन फ्लैटस पर ग्यारहवें और निरन्तर बिल का 3353940.77 रु0 व्यय हो चुका है और पूर्णत्व तक पहुँचने तक इनपर और व्यय होना शेष है। इस विषय में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मकानों में बिजली लगाने के काम का व्यय नहीं हुआ परन्तु प्राप्त निविदाओं के अनुसार इस पर अनुमानित व्यय 134480/-रु0 होगा। इन फ्लैटस पर जितना व्यय हो चुका है उसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

ग्यारहवें बिल तक व्यय	2510907.90
निविदाकार का 10.00 का दावा	87334.00
स्टील की कीमत	294248.80
विद्युतीकरण का अनुमानित व्यय	134480.00
योग	3026970.70
विभागीय 10%	326970.00
कुल योग	3353940.70

पूर्णत्व के बाद की प्रतिफ्लैट कीमत 104811/-रु0 बैठती है और इसपर अभी कुछ और व्यय होना शेष है और इन फ्लैटस के लिए खरीदी गई भूमि की किमत भी इसमें शामिल नहीं है। विकास प्राधिकरण द्वारा ये फ्लैटस 84,000/-रु0 प्रति फ्लैट बेचे जा रहे हैं। अतः जो मूल्य लिया जा रहा है वह निर्माण व्यय से बहुत कम है। प्राधिकरण का यह विचार है कि यह व्यय घाटा किन मदों से पूरा होगी या किस ग्राहिकों पर अधिभार होगा।

188

25. **निर्माण कार्य रजिस्टर और निविदाकारों का लेजर ।**

निविदाकारों का लेजर और निर्माण कार्य रजिस्टर अभी तक भी नहीं बनाए गए हैं । इस महत्वपूर्ण अभिलेख को क्रमशः फार्म पी०डब्ल्यू० डी०ए०-14 और पी०डब्ल्यू० डी०ए०-12 एवं -13 पर बनाया जाए । इसके अतिरिक्त अचल सम्पत्ति रजिस्टर भी निर्धारित फार्म पर बनाया जाए तथा अनुपालना अगले लेखा परीक्षण में दिखाई जाए ।

26. **स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन:**

स्टोर और स्टॉक का प्रत्यक्ष वार्षिक सत्यापन नहीं किया जा रहा है और इसमें भारी अन्तर भी पा रहे हैं जैसा कि इस रिपोर्ट के पैरा 8 में भी लिखा गया है । कृपया इतिशेषों का प्रत्यक्ष सत्यापन दोनों मंडलों के भण्डारों का करवाया जाए जैसा कि पी० डब्ल्यू० डी० मैनुअल के अध्याय-4 के पैरा-48 में विहित है । अतः की गई कार्यवाही की सत्यापन रिपोर्ट अगले लेखा परीक्षण में प्रस्तुत की जाए ।

27. **प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ को भत्ते:** प्रतिनियुक्ति पर लिये गए स्टाफ को ~~विशेष~~ विशेष वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता दोनों दिये जा रहे हैं जो सरकार के आदेशों के प्रतिकूल हैं । सरकार ने अपने संख्या पी० ई० आर० (ए०पी०-II) बी० (8)-1/83 दिनांक 19.4.1991 में स्पष्ट किया है कि ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर विशेष वेतन भी ले रहे हों और प्रतिनियुक्ति भत्ता भी उन्हें विकल्प के आधार पर एक ही भत्ता दिया जाएगा इस विषय पर लेखा परीक्षा अधिकारी ने अपने पत्र संख्या 923/बी०आर० एस० दिनांक 10 जुलाई, 1991 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखा था, में अंकित किया था कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को दोनों भत्ते दिये जा रहे हैं उनसे विकल्प लेकर एक ही की वसूली की जाए । इसकी अनुपालना अगले लेखा परीक्षण में बताई जाए ।

28. **लघु आपत्ति विवरणिका:**

यह इस रिपोर्ट को जारी करने से पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं मुख्य अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गई है ।

29. **निष्कर्ष:-**

इस रिपोर्ट के पैरा संख्या 6, 7 (ए), (बी) (घ), (ई-II), 8, 9, 10 और 22 में वर्णित आपत्तियाँ अत्यन्त गम्भीर हैं जिनके ऊपर शीघ्र विशेष कार्यवाही की आवश्यकता है ।

हस्ता/-
भाग नियंत्रक (लेखा परीक्षा)
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला।

हस्ता/-
परीक्षक,
स्थानीय निधि लेखा,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

...47...

18

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल०ए०)(सी)(15)(14)75/83-खण्ड-6, दिनांक, शिमला-2, 28 MAR 1992

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. मुख्य कार्यकारी एवं मुख्य अभियन्ता, शिमला विकास प्राधिकरण, कसुम्पटी (शिमला) को इस आशय के साथ प्रेषित है कि वह उक्त अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।

2. आयुक्त एवं सचिव (लोक निर्माण) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-171002.

3. श्री भागीरथ शर्मा, सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा....

27/3/92

उप निदेशक,

कार्यालय प्रति / स्थानीय निधि लेखा,

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002.

27/3

.....

ASSISTANT CONTROLLER

SHIMLA DEVELOPMENT AUTHORITY KHALINI, SHIMLA-2.
BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 1990 (PROVISIONAL)

1	Liabilities. 2.	Amount. (Rs. P) 3.	Total (1989-90). (Rs. P) 4.
	CAPITAL FUND		
	Grant-in-aid from HP Govt.		
.00	As per last balance sheet.	2,80,00,000.00	
	Add during the year.	-	
		2,80,00,000.00	2,80,00,000.00
	SPECIAL ASSISTANCE		
	For pre-project activity.		
.00	As per last balance sheet.	50,00,000.00	
	Add during the year.	-	
		50,00,000.00	50,00,000.00
	SURPLUS.		
41	As per last balance sheet.	3,23,972.41	
	Add during the year.	2,46,913.78	
		5,70,886.19	5,70,886.19
	RESERVES.		
	Stock storage		
8	As per last balance sheet.	58,512.18	
	Add during the year.	83,692.50	
		1,42,204.68	1,42,204.68

Previous year (1988-89). (Rs. P) 5.	Assets. 6.	Amount. (Rs. P) 7.	Total (1989-90). (Rs. P) 8.
4,93,632.18	FIXED ASSETS		
	As per Annexure'A'	7,32,030.06	7,32,030.06
	WORK IN PROGRESS.		
	A-Kasumpti Zonal Centre Shimla.		
	(i) Acquisition of land.		
1,14,53,828.69	As per last balance sheet.	1,14,53,828.69	
	Add during the year.	86,74,560.78	
		2,01,28,389.47	
	Less cost recovered by sale of flats.	11,92,103.00	
	Total-A(i).	1,89,36,286.47	
	(ii) Expenditure on execution of works Social Housing Scheme KZC Shimla.		
3,45,45,307.45	As per last balance sheet.	3,45,45,307.45	
	Add during the year.	78,54,024.63	
		4,23,99,332.08	
	Less cost recovered by sales of flats.	1,57,43,394.00	
	Total-A(ii).	2,66,55,938.08	

Contd...2/-

	2	3	4
	LOAN FROM H.P. GOVT.		
	Loan from Govt. of India received through H.P.Govt.		
31,87,400.00	As per last balance sheet.	31,87,400.00	
	Re-paid during the year.	1,40,600.00	
		30,46,800.00	30,46,800.00
	LOAN FROM PNB SHIMLA.		
	Received during the year.	95,00,000.00	
	Repaid during the year.	95,00,000.00	
		-	-
	LOAN FROM HUDCO		
18,14,000.00	As per last balance sheet.	1,18,14,000.00	
	Repaid during the year(-)	25,75,000.00	-
		92,39,000.00	92,39,000.00
	EARNEST MONEY/ DEPOSIT FROM APPLICANTS UNDER VARIOUS SCHEMES.		
1,26,908.50	As per last balance sheet.	9,91,26,908.50	
	Received during the year.	2,80,63,677.90	
		12,71,90,586.40	
	Refunded during the year(-)	96,13,170.00	
		11,75,77,416.40	11,75,77,416.40

5	6	7	8
	B. RESIDENTIAL COMPLEX BELOW BCS SHIMLA PHASE-I.		
	(i)Acquisition of land		
84,20,112.65	As per last balance sheet.	84,20,112.65	
	Add during the year.	38,658.00	
	Total-B(i)	84,58,770.65	
	(ii)Expenditure on execution of works.		
1,02,72,555.93	As per last balance sheet.	1,02,72,555.93	
	Add during the year.	1,23,70,523.47	
	Total-B(ii)	2,26,43,079.40	
	C. RESIDENTIAL COMPLEX BELOW BCS SHIMLA PH-II		
	(i)Acquisition of land.	2,500.00	
	Total-C(i)	2,500.00	
	(ii)Expenditure on execution of works.		
15,285.77	As per last balance sheet.	15,285.77	
	Add during the year.	2,14,746.00	
	Total-C(ii)	2,30,031.77	

Contd..3/-

..3/-

192

1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	DEPOSIT FOR PREFERENTIAL ALLOTMENT UNDER VARIOUS SCHEMES.				D. COMMERCIAL COMPLEX UNDER IST S.F.S.		
26,598.00	As per last balance sheet.	26,598.00			(i) Expenditure on execution of works.		
	Received during the year.	5,59,248.00		64,60,957.19	As per last balance sheet.	64,60,957.19	
		5,85,846.00			Add during the year.	44,[illegible],51[illegible].10	
	Refunded/ Adjusted during the year.	3,33,860.00			Total-D(i)	1,09,59,472.29	
		2,51,986.00	2,51,986.00				
	LIABILITIES AND RECOVERIES.				(i) Acquisition of land		
	A(i) DEPOSIT WORK (Town & Country Planning Deptt. HP) For carrying out various Planning Survey and Investigation for preparation of Dev.plan of Shimla.			1,98,73,941.34	A(i)+B(i)+C(i)	2,73,97,557.12	
				5,12,94,106.34	(ii) Expenditure on execution of works. A(ii)+B(ii)+C(ii)+D(i)	6,04,88,521.54	
						8,78,86,078.66	8,78,86,078.66
22,549.55	As per last balance sheet.	22,549.55			Felling of trees and conversion into sleepers in commrl complex.		
	Less expenditure during the year.	-		-	STOCK IN HAND	1,244.00	1,244.00
	Total-A(i)	22,549.55			(i) Store articles.		
				19,25,019.41	Add during the year.	19,25,019.41	
						5,96,115.37	
						25,21,134.78	
				17,897.69	(ii) Stationery articles.	28,2[illegible].75	
						25,4[illegible],425.53	

25,49,425.53

25,49,425.53

..4/-

193

	2.	3.	4.
	A(ii) Providing W.S.S. to Kasumpti Zone of Shimla Planning area and augmentation of Shimla W.S.S.		
	As per last		
32.52	balance sheet.	2,06,02,832.52	
	Deposit during the year.	1,08,00,000.00	
		3,14,02,832.52	
	Less Expenditure during the year. (-)	1,47,43,914.33	
	Total-A(ii)	1,66,58,918.19	
	A(iii) H.P. Urban Dev. Project SH: Survey and planning of KZC Phase-3rd.		
	As per last balance sheet.	-	
	Received during the year.	2,45,000.00	
		2,45,000.00	
	Less Expenditure during the year.	-	
	Total-A(iii).	2,45,000.00	
	Total-A(i)+A(ii)+A(iii).	1,69,26,467.74	1,69,26,467.74

5.	6.	7.	8.
	SUNDRY DEBTORS.		
10,68,129.80	As per last balance sheet.	10,68,129.80	
	Add during the year.	11,52,776.38	
		22,20,906.18	22,20,906.18
	LOAN & ADVANCES.		
8,870.00	(i) Warm clothing and festival Advance.	6,680.00	
10,928.83	(ii) Advances with staff.	8,489.03	
770.00	(iii) T.T.A. Advance.	-	
3,920.50	(iv) L.T.C. Advance.	605.00	
		15,774.03	15,774.03
	PREPAID EXPENSES.		
	For telephones/Security.		
41,937.00	As per last balance sheet.	41,937.00	
	Less credit during the year. (-)	2,304.00	
		39,633.00	39,633.00
	SECURITY DEPOSIT.		
5,110.00	(i) with HPSEB.	5,110.00	
3,000.00	(ii) -do- P&T.	3,000.00	
700.00	(iii) -do- M.C. Shimla.	700.00	
		8,810.00	8,810.00

Contdd.5/-

3

1-08-2023

1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	B. CONTRACTORS ACCOUNT.				INTEREST RECEIVABLE.		
	(i) Earnest money and security deposit.				Interest accrued on F.D.Rs.		
.00	As per last balance sheet.	12,16,787.00		89,06,500.03	As per last balance sheet.	89,06,500.03	
	Add for the year.	7,19,621.00			Add for the year.	55,67,105.00	
						1,44,73,605.03	
	Total-B(i).	19,36,408.00			Less interest received (-)	23,29,469.00	1,21,44,136.03
						1,21,44,136.03	
	(ii) MISC DEPOSIT.				BALANCE CONSIDERATION RECEIVABLE A/C SHS/KZC.		
3.10	As per last balance sheet.	27,233.10					
	Less during the year.	5,123.00		-	Add for the year.	79,36,478.00	79,36,478.00
	Total-B(ii).	22,110.10			FIXED DEPOSIT WITH SCHEDULED BANKS.		
	(iii) INCOME TAX.			8,28,93,292.01	As per Annexure 'B'	7,49,42,627.01	7,49,42,627.01
3.00	As per last balance sheet.	54,023.00			CASH AND BANK BALANCE.		
	Add during the year.	7,668.00					
		61,691.00		89,04,419.52	As per Annexure 'C'.	92,08,481.34	92,08,481.34
	Less during the year.	48,878.00					
	Total-B(iii).	12,813.00					
	Total-B(i)+B(ii)+B(iii).	19,71,331.10	19,71,331.10				
	C. EXPENSES PAYABLE.						
39	As per last balance sheet.	9,94,846.39					
	Add liabilities during the year.	4,14,678.70					
		14,09,525.09					
	Less liabilities cleared during the year.	4,37,733.36	9,71,791.73				
	Upto date liabilities.	9,71,791.73					

Contd..6/-

	2.	3.	4.	5.	6.
	D. INTEREST PAYABLE TO ALLOTTEES.				
8,540.00	As per last balance sheet.	8,540.00			
	Add for the year.	2,65,780.00			
		2,74,320.00			
	Less allowed during the year.	4,270.00			
		2,70,050.00	2,70,050.00		
	E. RECOVERIES TO BE REMITTED.				
26,002.00	As per last balance sheet.	26,002.00			
	Add during the year.	2,125.00			
		28,127.00			
	Less remitted during the year.	16,062.00			
		12,065.00	12,065.00		

Detail of remittanee.

i) House Rent. 27.00
ii) GPF. 6262.00
iii) HBA/Plot Adv. 291.00
iv) MC/SC. Adv. 1140.00
v) Gr.I.Sce. 420.00
vi) W.C.Advance 63.00
vii) T.T.A.Adv. 3140.00
viii) Festival Advance. 50.00
ix) Income Tax. 672.00

12,065.00

196

2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
F. SUSPENSE ACCOUNT.						
As per last balance sheet. -		5,625.00				
Provision for repairs and maintenance of off-site services of commercial Complex, SHS/KZC 2nd SFS, 3rd PSFS & 4th PSFS. -						
As per last balance sheet.	49,56,345.00					
Add for the year.	87,43,655.00					
	1,37,00,000.00	1,37,00,000.00				
		19,76,85,623.84	17,54,52,174.65			19,76,85,623.84

Assistant Controller(F&A),
Shimla Development Authority,
Kasumpti, Shimla-171009.

3.10.91

Assistant Engineer(W),
Shimla Development Authority,
Kasumpti, Shimla-171009.

CEO-Cum-Chief Engineer,
Shimla Development Authority,
Kasumpti, Shimla-171009.

We have audited the above balance Sheet of the Shimla Development Authority, Shimla for the year ended on 31.3.90 and report that the above Balance Sheet exhibits a true and fair view of the state of affairs to the best of our information and explanation given and shown by the Books of account.

B.R. Sharma.
Assistant Controller (Audit),
Local Audit Department,
H.P. Shimla.

197

SCHEDULE 'A'

SHIMLA DEVELOPMENT AUTHORITY

SCHEDULE OF FIXED ASSETS

(Forming part of the Balance sheet as at 31st March, 1990).

S.No.	Particulars.	Rate of Depreciation.	Cost as on 1.4.89.	Addition during the year.	Sale/deletion during the year.	As on 31.3.90. Col. (4+5(-)6)	DEPRECIATION Upto 31.3.89.	During the year 1989-90.	Upto 31.3.90 (Col. 8+9).	W.D.V. as on 31.3.90 (7(-)10).	W.D.V. as on 31.3.89 (4(-)8).
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Car HPS-6405.	20%	85,172.51	-	-	85,172.51	56,996.29	5,636.25	62,632.54	22,540.97	28,176.22
2.	Car HIS-948.	20%	1,05,330.61	-	-	1,05,330.61	36,514.61	13,763.20	50,277.81	55,052.80	68,816.00
3.	Jeep HIS-2453.	20%	1,21,329.00	1,920.00	-	1,23,249.00	-	24,265.80	24,265.80	98,983.20	1,21,329.00
4.	Van HIS-2673.	20%	85,343.20	-	-	85,343.20	11,111.05	14,846.40	25,957.45	59,385.75	74,232.15
5.	Car HIS-3228.	20%	-	1,29,484.93	-	1,29,484.93	-	12,948.50	12,948.50	1,16,536.43	-
6.	Furniture & Fixture	20%	1,82,147.85	47,967.00	-	2,30,114.85	52,157.[illegible]	15,[illegible]1.70	67,698.99	1,62,415.86	1,29,990.56
7.	Office Equipment.	15%	93,893.67	1,46,042.00	-	2,39,935.67	40,404.[illegible]	14,514.80	54,9[illegible].56	1,85,016.[illegible]	53,486.91
8.	Drawing Survey & Scientific instruments.	15%	22,266.19	14,703.80	-	36,969.99	11,392.04	3,100.75	14,492.79	22,477.20	10,874.15
9.	General Tools and Plants.	15%	2,695.89	-	-	2,695.89	896.34	269.90	1,166.24	1,529.65	1,799.55
10.	Crockery and Cutlery.	40%	1,911.20	626.00	-	2,537.20	1,024.76	354.55	1,379.31	1,157.89	886.44
11.	Books and Publications.	-	4,039.20	2,895.00	-	6,934.20				6,934.20	4,039.20
	Total.		7,04,129.32	3,43,638.73	-	10,47,768.05	2,10,497.[illegible]4	1,05,240.[illegible]	3,15,737.[illegible]	7,32,030.[illegible]	4,93,632.[illegible]

SHIMLA DEVELOPMENT AUTHORITY ANNEXURE 'B'

SCHEDULE OF FIXED DEPOSIT WITH SCHEDULED BANKS(1989-90).

S.No.	Name of Bank.	Amount (Rs. P).
1.	Punjab National Bank Shimla.	2,95,40,000.00
2.	State Bank of India Shimla.	9,03,500.00
3.	U.C.O.Bank Nigam Vihar Shimla.	34,39,400.00
4.	U.C.O.Bank Shimla-I.	22,48,500.00
5.	U.C.O.Bank H.Q.PH&HP area Shimla-I.	9,00,000.00
6.	U.C.O.Bank BCS Shimla-2.	15,00,000.00
7.	State Bank of Patiala (E)Shimla-2.	16,00,000.00
8.	State Bank of Patiala Shimla-I.	1,13,360.00
9.	New Bank of India Shimla.	50,32,750.00
10.	H.P.State Co-operative Bank Chhota Shimla.	10,00,000.00
11.	H.P.State Co-operative Bank Shimla-I.	2,57,15,312.50
12.	Syndicate Bank Shimla-I.	15,00,000.00
13.	U.B.I.Shimla-I.	10,66,600.00
14.	C.B.I.Shimla-I.	3,83,204.51
		Rs. 7,49,42,627.01

SHIMLA DEVELOPMENT AUTHORITY

ANNEXURE 'C'

SCHEDULE OF POSTAGE STAMPS, CASH AND BANK BALANCES (1989-90).

S.No.	Particulars	Amount (Rs. P)
1.	Cash in hand (H.O.).	24,052.20
2.	Cash in hand(EE-C-I).	1,070.03
3.	Cash in hand(EE-C-II).	3,553.52
4.	Postage stamps(H.O).	343.55
	Total.	Rs.29,019.30
II.	Saving Bank Account.	
1.	S.B.A/C with S.B.P.Shimla.	4,243.16
2.	-do- P.N.B.Shimla.	63,53,649.97
3.	-do- S.B.I.Shimla.	1,342.43
4.	-do-U.C.O.Bank Shimla.	280.67
5.	-do-H.P.Co-operative Bank Shimla.	25,97,917.82
6.	-do-U.C.O.Bank Nigam Vihar Shimla (EE-C-I).	15,919.17
7.	-do-P.N.B.Shimla(EE-C-I).	1,53,068.33
8.	-do-P.N.B.Shimla(EE-C-II).	53,040.49
	Total.	Rs. 91,79,462.04
	G.Total.	Rs. 92,08,481.34

SHIMLA DEVELOPMENT AUTHORITY KHALINI, SHIMLA-2.
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH, 1990 (PROVISIONAL).

Expenditure.	Amount.	Total 1989-90.	Previous year 1988-89.	Income.	Amount.	Total. 1989-90.
	(Rs. P)	(Rs. P)	(Rs. P)		(Rs. P)	(Rs. P).
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. TO ESTABLISHMENT EXPENSES ACCOUNT.				BY INTEREST. a) Interest on FDRs.	32,12,636.77	
a) Salary and other allowances.	32,66,086.00		11,50,539.30	b) Interest accrued but not due.	55,67,105.00	
b) Medical charges.	62,933.00		45,61,881.00	c) Interest on saving bank a/C.	1,18,670.18	
c) Travelling Expenses.	23,646.00		1,15,599.76			
	33,52,665.00				88,98,411.95	88,98,411.95
2) TO OFFICE EXPENSES.	10,76,938.17		12,75,733.30	By Misc. receipts.	16,68,270.25	16,68,270.25
Total admn. expenses.	44,29,603.17	44,29,603.17		By agency charges.	34,02,522.75	34,02,522.75
3) TO DEPRECIATION ACCOUNT	1,05,240.85	1,05,240.85	26,16,311.40			
4) TO INTEREST paid/accrued on loan from Govt. of India through Govt. of H.P.		-				
5) Interest on PNB Loan.	1,59,156.15	1,59,156.15				
6) Interest allowed on advance payment made by allottees.	25,156.00	25,156.00				

Contd...2/-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	7. Provision for interest to allottees under 2nd S.F.S. (deposit).	2,59,480.00	2,59,480.00				
	8. Provision for repairs and maintenance of off-site services of commercial complex, residential complex below SCS Ph-I and II, Shimla.	87,43,655.00	87,43,655.00				
	9. Surplus taken to balance sheet.	2,46,913.78	2,46,913.78				
			1,39,69,204.95	97,20,064.76.			1,39,69,204.95

Assistant Controller(F&A),
Shimla Development Authority,
Kasumpti, Shimla-171009.
3/10/91

Assistant Engineer(W),
Shimla Development Authority,
Kasumpti, Shimla-171009.

CEO-Cum-Chief Engineer,
Shimla Development Authority,
Kasumpti, Shimla-171009.

We have audited the above income and expenditure account of the Shimla Development Authority, Shimla for the year ended on 31.3.90 and report that the above Income and Expenditure account exhibits a true and explanation given and shown by the Books of account.

Assistant Controller(Audit),
Local Audit Department,
H.P. Shimla.

पेज 4 से तालिका ... 127 ... Sale ... 128

लेखा परीक्षा शुल्क तालिका

अवधि	सहायक नियंत्रक	अनुभाग अधिकारी	का. ले. परीक्षक	कुल योग
29.4.91 से 30.4.91	2	2	–	160=00
1.5.91 - 4.5.91	2	4	–	240=00
6.5.91 - 10.5.91	–	5	–	200=00
13.5.91 - 18.5.91	–	1	–	40=00
20.5.91 - 25.5.91	3	3	–	240=00
27.5.91 - 31.5.91	4	4	–	320=00
1.6.91	–	1	–	40=00
3.6.91 - 7.6.91	2	5	–	280=00
10.6.91 - 15.6.91	6	5	–	440=00
17.6.91 - 22.6.91	6	3	–	360=00
24.6.91 - 29.6.91	6	10	–	640=00
1.7.91 - 6.7.91	6	11½	–	720=00
8.7.91 - 12.7.91	5	5	–	400=00
15.7.91 - 20.7.91	6	12	–	720=00
22.7.91	1	2	–	120=00
24.7.91 - 27.7.91	4	8	–	480=00
29.7.91 - 31.7.91	3	6	–	360=00
1.8.91 - 3.8.91	3	6	–	360=00
5.8.91 - 9.8.91	5	10	5	675=00
12.8.91 - 14.8.91	–	6	3	285=00
16.8.91 - 17.8.91	–	4	1	175=00
19.8.91 - 24.8.91	2	12	6	650=00
26.8.91 - 31.8.91	6	6	6	570=00
.9.91 - 7.9.91	5	10	5	675=00
.9.91 - 13.9.91	5	10	5	675=00
.9.91 - 21.9.91	6	12	6	810=00
.9.91 - 28.9.91	6	2	6	650=00
.9.91	1	2	1	135=00
.10.91	1	2	1	135=00
.10.91 - 5.10.91	3	6	3	405=00
.10.91 - 11.10.91	5	10	5	675=00
.10.91	1	–	–	40=00
.10.91	1	–	–	40=00
Tot		191½	53	12715=00

Amount

2003/00
4239=00
4327=00
189=00
9200/00
4238/00
819/00
13501/00
1,47,897/00
2,22,390/00
2,28,235/00
54,223/00
2817/00
94631/00
11682/00
1,36,789/00
163948/00
46797/00
5852/00
57601/00
5400/00
3681/00
5724/00
32958/00

11,62,324.00